



भारतीय रिज़र्व बैंक
Reserve Bank of India

www.rbi.org.in

निविदा आमंत्रण सूचना

वर्ष 01 जुलाई 2025 – 30 जून 2026 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के औषधालय द्वारा जारी जमा पर्ची के आधार पर बैंक औषधालय को और पात्र आश्रितों सहित सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों को घर में दवाओं और औषधियों की आपूर्ति के लिए ई-निविदा

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के औषधालय द्वारा जारी जमा पर्ची के आधार पर बैंक औषधालय को दवाइयों की आपूर्ति और पात्र आश्रितों सहित सेवानिवृत्त/ सेवारत कर्मचारियों को घर-द्वार सुपुर्दगी के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।

ई-निविदा की अनुसूची इस प्रकार है:

ए	ई-निविदा सं.	आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/4/25-26/ईटी/131
बी	कार्य का नाम	बैंक औषधालय को औषधियों की आपूर्ति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के औषधालय द्वारा जारी जमा पर्ची के आधार पर पात्र आश्रितों सहित सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों को घर-द्वार पर औषधियों की आपूर्ति।
सी	कार्य की अनुमानित लागत	₹ 1,10,00,000/- (मात्र एक करोड़ दस लाख रुपये) (जीएसटी सहित)
डी	निविदा का तरीका	एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ई-अधिप्राप्ति (तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-I) और मूल्य बोली (भाग-II)) (https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi)
इ	एनआईटी और निविदा दस्तावेज डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की तारीख	23 मई 2025 14:00 बजे से
एफ	बयाना जमा (ईएमडी)	₹ 2,20,000/- (मात्र दो लाख बीस हजार रुपये) (सभी बोलीदाताओं द्वारा भुगतान किया जाना है, जैसा कि निविदा दस्तावेज के खंड V पैरा 4 में उल्लिखित है। एमएसएमई/ उद्यम पंजीकृत बोलीदाताओं को ईएमडी के भुगतान से कोई छूट नहीं है।)
जी	ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख और समय	19 जून 2025 को 17:00 बजे से पहले
एच	बोली-पूर्व बैठक की तिथि, समय एवं स्थान (ऑफ़लाइन)	09 जून 2025, 11:00 बजे , भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

आई	परिशिष्ट, शुद्धिपत्र, आदि के रूप में आरबीआई की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के परिणाम अपलोड करने की तारीख और समय	10 जून 2025 को या उससे पहले ।
जे	वेबसाइट पर तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-I) और मूल्य बोली (भाग-II) के लिए बोली शुरू होने की तारीख https://mstcecommerce.com/epr/ochome/rbi	11 जून 2025 को 11:00 बजे।
के	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-I) और मूल्य बोली (भाग-II) जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तारीख	20 जून 2025 को 11:00 बजे।
एल	तकनीकी और वाणिज्यिक बोली (भाग-I) खोलने की तारीख और समय	20 जून 2025 को 12:00 बजे।
एम	मूल्य बोली (भाग- II) खोलने की तारीख और समय	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी, जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) आरबीआई, कोच्ची द्वारा स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तारीख के बारे में केवल उनके द्वारा प्रदान की गई वैध ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
एन	लेनदेन शुल्क	मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सूचित राशि।

सभी इच्छुक बोलीदाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। भविष्य में निविदा में कोई भी संशोधन/ शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऊपर दिए गए अनुसार आरबीआई वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

(टी वी राव)
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DEPARTMENT
कोच्ची KOCHI

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के औषधालय द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप के आधार पर बैंक औषधालय को औषधियों की आपूर्ति और सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों/पात्र आश्रितों को घर-घर डिलीवरी के लिए ई-निविदा

विषयसूची

<u>अनुभाग</u>	<u>विवरण</u>	<u>पृष्ठ क्रमांक</u>
खंड I	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	3
खंड II	निविदा की अनुसूची और संपर्क जानकारी	4
खंड III	ई-टेंडरिंग के लिए निर्देश	7
खंड IV	पात्रता मापदंड	12
खंड V	कार्य का दायरा और नियम व शर्तें	14
खंड VI	बोली-पूर्व बैठक का विवरण	30
अनुलग्नक I	निविदा का प्रारूप	31
अनुलग्नक II	ई-टेंडरिंग के लिए आवेदन पत्र	34
अनुलग्नक III	बैंकर्स सर्टिफिकेट का प्रारूप	37
अनुलग्नक IV	बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने का प्रारूप	38
अनुलग्नक V	निष्पादित समान योग्यता वाले कार्यों का विवरण	39
अनुलग्नक VI	प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण पत्र का प्रारूप	40
अनुलग्नक VII	बैंक गारंटी प्रारूप का प्रोफार्मा	41
अनुलग्नक VIII	वार्षिक अनुबंध प्रपत्र	43
अनुलग्नक IX	सत्यनिष्ठा संधि प्रारूप	44
अनुलग्नक X	औषधालयों की सूची और दवाओं की संभावित सूची	53
अनुलग्नक XI	गैर-प्रकटीकरण समझौते का प्रारूप	54
अनुलग्नक XII	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर घोषणा के लिए प्रारूप (सेवा स्तर समझौते (एसएलए) का हिस्सा होगा)	55
अनुलग्नक XIII	वाणिज्यिक बोली की घोषणा	56
अनुलग्नक XIV	बैंकर का सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र	57
अनुलग्नक XV	भाग II का प्रारूप: वित्तीय बोली / मूल्य बोली सावधानी: केवल निविदा के भाग II में प्रस्तुत किया जाना है	58

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, कोच्ची ने इच्छुक पक्षों को अनुबंध पर पृष्ठभूमि जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें निहित जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और मानता है कि यह सही है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके किसी भी अधिकारी या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यक्त या निहित।

यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी जांच स्वयं करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे ई -टेंडर जमा करने में केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अनुबंध को आगे न बढ़ाने या अनुबंध के स्वरूप को बदलने, इस दस्तावेज़ में दर्शाई गई समय-सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है जो रुचि व्यक्त करता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

खंड 1

निविदा आमंत्रण सूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची, (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) 12 महीने की अवधि यानी 01 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक "केरल राज्य में कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के कार्यालय, कॉलोनियों और निवास पर क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की सीधी डिलीवरी" के लिए पात्र निविदाकारों से दो बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। अनुबंध के दौरान अपेक्षित खरीद मूल्य ₹ 1,10,00,000/- (केवल एक करोड़ दस लाख रुपये) है।

2. ऑनलाइन निविदा 23 मई, 2025 को दोपहर 02:00 बजे से आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in और एमएसटीसी के ई-पोर्टल <https://mstcecommerce.com/eproc> पर देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी। निविदाकर्ताओं को धारा III के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार आवश्यक संलग्नकों के साथ विधिवत पूरा किया हुआ आवेदन पत्र एमएसटीसी की वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए। निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज में निर्धारित ₹2,20,000/- (केवल दो लाख बीस हजार रुपये) की ईएमडी के साथ निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। तकनीकी बोली 20 जून, 2025 को दोपहर 12:00 बजे आरबीआई, कोच्ची में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। ऊपर बताई गई किसी तारीख को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्य दिवस प्रभावी होगा। केवल उन निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोलियां, जो अपने भाग I दस्तावेजों के मूल्यांकन और उसके बाद उनकी साइट पर जाने, यदि कोई हो, के आधार पर पात्र पाए जाते हैं, योग्य निविदाकर्ताओं को सूचित करने के बाद बाद की तारीख में खोली जाएंगी।

3. इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उपरोक्त वेबसाइट/ई-पोर्टल पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से जांच करनी चाहिए और उसके सत्यापन के बाद बोली प्रस्तुत करनी चाहिए। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची

खंड II

निविदा अनुसूची (एसओटी)

ए	ई-निविदा सं.	आरबीआई/कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/4/25-26/ईटी/131
बी	निविदा का नाम	बैंक औषधालय को औषधियों की आपूर्ति तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्चि की औषधालय द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप के आधार पर पात्र आश्रितों सहित सेवानिवृत्त/ सेवारत कर्मचारियों को घर-द्वार पर औषधियों की आपूर्ति।
सी	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली ऑनलाइन - भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - एमएसटीसी ई-कॉमर्स के माध्यम से वित्तीय बोली (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/)
डी	ई-निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि आरबीआई वेबसाइट पर देखने/डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	23 मई 2025 दोपहर 02:00 बजे से
इ	निविदा का अनुमानित मूल्य अर्थात वार्षिक खरीद	₹1,10,00,000/- (वार्षिक) (केवल एक करोड़ दस लाख रुपये)
एफ	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (अपेक्षित वार्षिक खरीद का 2%)	₹2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) प्रत्येक बोलीदाता को भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्चि के पक्ष में केवल NEFT के माध्यम से जमा करना होगा। खाते का विवरण नीचे दिया गया है:
		लाभार्थी खाता संख्या: 186003001
		आईएफएससी: RBIS0KCPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर अंकीय शून्य)
		लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्चि
		ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। असफल बोलीदाताओं को यह राशि वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं के मामले में, वैध प्रदर्शन बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा राशि के भुगतान और अनुबंध के निष्पादन के बाद ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

जी	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	19 जून 2025 को 17:00 बजे से पहले
एच	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में या मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए। कृपया लेनदेन शुल्क को भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची को हस्तांतरित न करें। एमएसटीसी द्वारा लगाए गए शुल्क को केवल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाना चाहिए। एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा लगाए गए शुल्क किसी भी मामले में बैंक द्वारा वापस नहीं किए जाएंगे।
मैं	प्री-बिड मीटिंग की तिथि (ऑफ़लाइन)	09 जून 2025 को 11:00 बजे
जे	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	भारतीय रिज़र्व बैंक, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्ची - 682018
क	बोली-पूर्व बैठक के परिणाम को परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि के रूप में आरबीआई वेबसाइट/एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि और समय।	10 जून 2025 को या उससे पहले
एल	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करने की आरंभिक तिथि (https://www.mstcecommerce.com/eprocn/)	11 जून, 2025 को सुबह 11:00 बजे से
एम	ई-निविदा (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) ऑनलाइन जमा करने की समाप्ति की तिथि और समय।	20 जून, 2025 को सुबह 11:00 बजे
एन	भाग-I खुलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बोली)	20 जून, 2025 दोपहर 12:00 बजे
हे	भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि	भाग-II (वित्तीय बोली) केवल उन बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी, जिनकी भाग-I (तकनीकी बोली) RBI, कोच्ची द्वारा स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को भाग-II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि के बारे में केवल उनके द्वारा प्रदान की गई वैध ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त दिनों में से किसी भी दिन अप्रत्याशित रूप से कार्य बंद होने/छुट्टी होने की स्थिति में, उसे अगले कार्य दिवस पर खोला/आयोजित किया जाएगा।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।
3. बोली दस्तावेजों के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाली निविदाएं अस्वीकृत की जा सकती हैं।
4. किसी भी समस्या/विवाद की स्थिति में मुख्य महाप्रबंधक, आरबीआई, कोच्ची का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

संपर्क जानकारी (आरबीआई):-

प्रश्नों के लिए कृपया हमसे संपर्क करें / हमें लिखें –

संपर्क व्यक्ति:

विनीत आर नायर सहायक महाप्रबंधक, एचआरएमडी मोबाइल- 8951351288	कृष्ण कुमार आर प्रबंधक, एचआरएमडी मोबाइल- 9789695982	श्रीनाथ एल सहायक प्रबंधक, एचआरएमडी मोबाइल- 9962757880
संचार के लिए पता: - मुख्य महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची - पिन 682 018 ई-मेल – hrrmdkochi@rbi.org.in		

औषधालय का स्थान: -

सीरीयल नम्बर	औषधालय का नाम	औषधालय का पता
1	कार्यालय औषधालय	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

खंड III

ई-टेंडरिंग के लिए निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची का ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना तथा उसके बाद जारी शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया :

ए) पंजीकरण :

बैंक द्वारा प्रकाशित ई-निविदाओं में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं को एमएसटीसी वी3 पोर्टल www.mstcecommerce.com/eprocn पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे खुद को अपडेट रखने के लिए वेबसाइट से नवीनतम दिशा-निर्देशों की जांच करते रहें। बोलीदाता किसी भी बिंदु पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एमएसटीसी, हेल्पडेस्क से भी संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोली लगाने वाले का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही बोली लगाने वाले अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। बोली लगाने वाले के पास क्लास III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। बोली लगाने वालों को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।

1) www.mstcecommerce.com पर ऑनलाइन पंजीकृत करना होगा → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू / सरकारी विभाग → आरबीआई लोगो का चयन करें → विवरण भरकर बोलीदाता के रूप में पंजीकरण करें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें।

2) बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय दी गई ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

3) किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया एमएसटीसी/ आरबीआई, कोच्ची से (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क	
फ़ोन नंबर	ईमेल
07969066600	helpdesk@mstcindia.co.in
उपलब्धता: इ-नोलाभो, इ-नोवेदाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आदि से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।	

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

1. श्री संतोष कुमार राजेंद्रन, तिरुवनंतपुरम, skrajendran@mstcindia.co.in, फ़ोन: 8884600700
2. श्री रेमिल रशीद, शाखा प्रबंधक, rrashid@mstcindia.co.in, मोबाइल: 0471- 2529137 | कार्यालय पता: प्रथम तल, वन केंद्रीय पुस्तकालय भवन, केरल वन मुख्यालय, वझुथाकौड , तिरुवनंतपुरम – 695014
3. श्री सुशील नाले , सहायक प्रबंधक, sushil@mstcindia.co.in, मोबाइल: 09987758430
4. सुश्री अर्चना, सहायक प्रबंधक, archana@mstcindia.co.in, मोबाइल: 09990673698
5. सुश्री रूपाली पांडे, कार्यकारी, rpandey@mstcindia.co.in, फ़ोन : 02222886268
6. श्री तेजस वी, कार्यकारी, tejasv@mstcindia.co.in, फ़ोन : 02222822789

गूगल हैंगआउट आईडी- (टेक्स्ट चैट के लिए) - mstceproc@gmail.com

एमएसटीसी हेल्पडेस्क नंबर हैं: 033 40645207, 033 40609118, 033 40645316, 033 22901004 और 033 22895064। बोलीदाता helpdesk@mstcindia.co.in पर ईमेल के माध्यम से भी अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकते हैं।

संपर्क जानकारी <https://www.mstcindia.co.in/content/contact.aspx> से भी डाउनलोड की जा सकती है

बी) सिस्टम आवश्यकताएँ:

एमएसटीसी पोर्टल चलाने के लिए न्यूनतम सिस्टम आवश्यकताएँ:

1. विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
2. IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र.
3. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
4. नवीनतम अद्यतन JRE 8(x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा।
5. "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए (टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => यदि सक्षम है तो संरक्षित मोड अक्षम करें - यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक हटा दें।)

6. "अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें" सक्रिय करने के लिए (टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास / ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "हर बार जब मैं वेबपृष्ठ पर जाता हूं" सक्रिय करें।)

7. सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (टूल्स → इंटरनेट विकल्प → कस्टम स्तर) पर जाएं (कृपया एक बार www.mstcecommerce.com पृष्ठ से IE सेटिंग्स चलाएं)

<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध बोलीदाता गाइड और FAQ देख सकते हैं।

सी) लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष नोट:

बोलीदाताओं को बोलीदाता लॉगिन में "मेरा मेनू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। बोलीदाताओं को ईवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। बोलीदाता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, बोलीदाता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। बोलीदाता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, बोलीदाता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा और बोलीदाता को सिस्टम द्वारा जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना बोलीदाता को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी। लेन-देन शुल्क वापसी योग्य नहीं है और इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती। बोली लगाने के समय बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपूर्तिकर्ता को एमएसटीसी पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। किसी भी मामले में बोलीदाता को एमएसटीसी पोर्टल शुल्क की वापसी नहीं दी जाएगी।

नोट (बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।)

डी) अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्रों के बारे में जानकारी निविदा के अंतिम रूप दिए जाने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी के साथ बोलीदाता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

ई) एनआईटी (निविदा आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

एफ) तकनीकी बोली और वित्तीय बोली <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएं निविदा में दिए गए निर्दिष्ट दिनांक और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

जी) निविदा में सभी प्रविष्टियाँ बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी एवं वित्तीय/मूल्य प्रारूप में दर्ज की जानी चाहिए।

एच) ई-निविदा में बोली:

1. बोलीदाताओं को ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी।
2. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वित्तीय/मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
3. जिन बोलीदाताओं ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई के तहत लॉगिन → मेरा मेनू → नीलामी फ्लोर प्रबंधक → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वित्तीय बोली जमा कर सकते हैं।
4. बोलीदाता को जावा एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास बोली खुलने के तुरंत बाद किया जाना चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लीकेशन नहीं चलाया जाता है, तो बोलीदाता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
5. तकनीकी बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, वित्तीय बोली लिंक सक्रिय हो जाती है और उसे भरना होता है और फिर बोलीदाता को अपनी वित्तीय बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। एक बार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों सहेजे जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
6. बोलीदाताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "अटैच डॉक बटन" का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
7. सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपना स्वयं का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
8. सम्पूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे।
9. ई-निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि व समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।
10. ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा पेश की गई वैध बोली माना जाएगा और खरीदार द्वारा उसे स्वीकार करने से आपूर्ति के निष्पादन के लिए खरीदार और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाएगा।

11. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द या अस्वीकार या स्वीकार या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में, एमएसटीसी लेनदेन शुल्क या कोई अन्य शुल्क/फीस बैंक द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

वे बोली लगाने से पहले प्रणाली से परिचित होने के लिए बोलीदाता मार्गदर्शिका पढ़ें और <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पृष्ठ पर वीडियो देखें।

1) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।

जे) इस निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

ट) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोलियों की प्राप्ति की नियत तिथि को बढ़ाने का अधिकार है।

एल) बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी नवीनतम परिवर्तन और दिशानिर्देशों के लिए एमएसटीसी पोर्टल देखें।

खंड IV

पात्रता मापदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) स्टॉकिस्ट/केमिस्ट/ड्रुगिस्ट (जिन्हें आगे आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा) को आपूर्ति करने के लिए आमंत्रित करता है।

- (a) बोली लगाने वाले के पास आवेदन की तिथि तक निर्दिष्ट फॉर्म (फॉर्म 20, 20-बी, 21, 21-बी और 21-सी या संबंधित कानून के तहत कोई अन्य प्रासंगिक फॉर्म) में वैध लाइसेंस होना चाहिए, जो राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया हो और इस उद्देश्य के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत हो। उन्हें दवाओं के व्यापार/बिक्री के लिए आवश्यक सभी अन्य लाइसेंस, मंजूरी और अनुमति लेनी चाहिए। बोली लगाने वाले यह भी सुनिश्चित करेंगे और वचनबद्ध होंगे कि उनके लाइसेंस अनुबंध अवधि के अंत तक वैध रहेंगे।
- (b) बोलीदाता को राज्य औषधि प्राधिकरण द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं नियमों के तहत कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए।
- (c) बोलीदाता का पिछले तीन वर्षों का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर अनुलग्नक II में निर्दिष्ट अनुसार होना चाहिए।
- (d) बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम एक ग्राहक जैसे सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन/किसी अन्य संगठन/कॉर्पोरेट के साथ दवाओं की आपूर्ति के समान व्यवसाय व्यवस्था करनी चाहिए। आवेदन करते समय इसका समर्थन करने वाला दस्तावेज़ प्रस्तुत करना चाहिए। अनुलग्नक III में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक ग्राहक से ग्राहक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (e) बोलीदाता को (i) बैंक औषधालयों को आपातकालीन दवाइयां और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिए सहमत होना चाहिए _____ बैंक ब्रांड या निर्माता की परवाह किए बिना जारी किए गए क्रेडिट स्लिप के आधार पर सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों/पात्र आश्रितों को (ii) डोरस्टेप डिलीवरी का अनुरोध करता है। दस्तावेज़ में कहीं और वर्णित अनुसार खरीद अनुबंध के निष्पादन के बाद ऐसा न करने पर प्रदर्शन गारंटी स्वतः ही जब्त हो जाएगी।
- (f) बोलीदाता को किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन/आरबीआई सहित किसी अन्य संगठन/कॉर्पोरेट द्वारा सेवा संबंधी कमियों के कारण प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।
- (g) बोली लगाने वाले की दुकान/प्रतिष्ठान कोच्ची में स्थित होना चाहिए। यदि बोली लगाने के समय बोली लगाने वाले की दुकान/प्रतिष्ठान कोच्ची में स्थित नहीं है, तो बोली लगाने वाले को काम शुरू होने से पहले (यदि उसे दिया जाता है) ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- (h) बोलीदाता के पास जीएसटी क्लियरेंस प्रमाणपत्र उपलब्ध होना चाहिए।
- (i) बोलीदाता के पास कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली होनी चाहिए।

- (j) बोलीदाता के पास आरबीआई द्वारा दवा खरीद के दौरान ई-टेंडरिंग में भाग लेने की क्षमता होनी चाहिए।
- (k) अनुबंध-V के अनुसार बोलीदाता को पूर्व में गैर-निष्पादन के आधार पर बैंक द्वारा अनुबंध समाप्ति का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए।
- (l) बोलीदाता के पास बैंक के साथ उचित संचार के लिए उचित आईटी अवसंरचना (जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, समर्पित ई-मेल आदि) होनी चाहिए।
- (m) बोलीदाता के पास समय पर दवाइयों की आपूर्ति के लिए उचित वितरण और पैकेजिंग प्रणाली/व्यवस्था होनी चाहिए।

खंड -V

काम की गुंजाइश

बोलीदाता भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - वित्तीय बोली के लिए एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक सभी बोलीदाताओं की भाग I - तकनीकी बोली खोलेगा और इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पात्रता मानदंडों की जांच करने के लिए इसकी समीक्षा करेगा। भाग II - वित्तीय बोली सफल पात्र बोलीदाताओं के लिए खुली होगी जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। बोलीदाताओं के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। निविदाकर्ता अपने ई-टेंडर (भाग I और भाग II दोनों यानी तकनीकी और वित्तीय बोलियां) ई-टेंडर के बारे में निर्देशों के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ, सभी तरह से पूर्ण, 20 जून, 2025 को या उससे पहले 11:00 बजे तक जमा करेंगे। केवल एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत निविदाएं उपर्युक्त प्रक्रिया के लिए स्वीकार की जाएंगी। यदि निविदाएं (किसी भी मोड में) उक्त तिथि और समय के बाद प्राप्त होती हैं, तो बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।

1. काम की गुंजाइश:

- (a) बैंक एक या अधिक बोलीदाताओं के साथ वार्षिक अनुबंध करेगा, जो क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध बैंक डिस्पेंसरी को आपूर्ति की जाने वाली सभी दवाओं और औषधियों पर **उच्चतम समान छूट** और अनुबंध अवधि के दौरान डोरस्टेप डिलीवरी की पेशकश करते हैं (जिसे यहां समान छूट के रूप में उल्लेख किया गया है)। बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक बोलीदाताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए प्राप्त होने वाले किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (b) बैंक केवल उसी बोलीदाता के साथ अनुबंध करने के लिए बाध्य नहीं है जो सबसे अधिक छूट दे रहा है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस अनुभाग में बिंदु 7 देखें।
- (c) दवाइयों की आपूर्ति दो तरीकों से की जाएगी। (i) **क्रेडिट स्लिप के बदले घर पर डिलीवरी के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति और (ii) मांग के बदले बैंक डिस्पेंसरियों को सीधे दवाइयों की आपूर्ति।** अधिकांश कार्य और निविदा लागत (90% से अधिक) में क्रेडिट स्लिप के बदले घर पर डिलीवरी के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति शामिल है।
- (d) बोलीदाता निर्धारित समय में तथा बैंक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर, अर्थात् होम डिलीवरी या डिस्पेंसरी (आरबीआई कार्यालय, कॉलोनी डिस्पेंसरी में स्थित) पर, बैंक की डिस्पेंसरी द्वारा जारी क्रेडिट स्लिप और इंडेंट के आधार पर दवाइयों और औषधियों की आपूर्ति करेंगे।
- (e) **मांगपत्र के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति:** बैंक औषधालयों में भंडारण के लिए कुछ आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए मांगपत्र जारी करेगा। मांगपत्र प्राप्त होने पर बोलीदाता मांगपत्र के संचार की तिथि से बैंक के 3 कार्य दिवसों के भीतर औषधालयों को सीधे आपातकालीन दवाएं आपूर्ति करेगा।
- (f) **क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति:** क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति के चरण नीचे दिए गए हैं: -

- i. बैंक डिस्पेंसरी क्रेडिट स्लिप जारी करेगी जिसमें [रोगी का नाम, आयु, दवा का विवरण मात्रा के साथ, संपर्क विवरण और रोगी का पिन कोड के साथ पता, बीएमसी नाम (बैंक मेडिकल कंसल्टेंट)] जैसे विवरण होंगे। बोलीदाता को बैंक की डिस्पेंसरी से दैनिक आधार पर क्रेडिट स्लिप प्राप्त करनी चाहिए। वर्तमान में डिस्पेंसरी के काम के घंटे नीचे दिए गए हैं:

औषधालय स्थान	समय
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची	08:30 पूर्वाह्न से 11:30 पूर्वाह्न तक

*यदि आवश्यक हो तो बैंक द्वारा डिस्पेंसरी के समय की समीक्षा की जा सकती है।

- ii. क्रेडिट स्लिप प्राप्त होने पर, बोलीदाता प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध अलग-अलग सीलबंद पैकेटों में क्रेडिट स्लिप पर उल्लिखित पते पर दवाइयां वितरित करेगा, जिसके लिए बैंक या कर्मचारी को वितरण और पैकेजिंग पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आएगी।
- iii. **डिलीवरी का समय:** डिलीवरी का समय नीचे दिया गया है:
- कोच्ची नगर निगम सीमाएँ:** यदि डिलीवरी का पता **कोच्ची** की नगरपालिका सीमा के भीतर आता है, तो बोलीदाता/ओं के प्रतिनिधि द्वारा जारी और एकत्र की गई क्रेडिट पर्चियों को जल्द से जल्द वितरित करने की आवश्यकता है, लेकिन एक दिन से अधिक नहीं, यानी T+1 दिन, जहां T जारी करने की तारीख या क्रेडिट स्लिप की ईमेल तिथि है, जो भी बाद में हो। यदि किसी दवा की तत्काल आवश्यकता है, तो क्रेडिट पर्ची बैंक के औषधालय द्वारा बोलीदाता को भेज दी जाएगी। यदि ऐसी क्रेडिट पर्चियां बोलीदाता को दोपहर 2:00 बजे तक भेज दी जाती हैं और वितरण पता कोच्ची नगरपालिका सीमा के भीतर है, तो ऐसी दवाओं को बोलीदाता द्वारा उसी दिन वितरण पते के अनुसार वितरित करने की आवश्यकता है, यानी T+0, जहां T जारी करने की तारीख या क्रेडिट स्लिप की ईमेल तिथि है
 - कोच्ची नगर निगम की सीमा से बाहर लेकिन एर्नाकुलम जिले के भीतर:** यदि डिलीवरी का पता कोच्ची नगर निगम की सीमा से बाहर है, लेकिन एर्नाकुलम जिले में आता है, तो दवाओं को बोली लगाने वाले को जल्द से जल्द लेकिन एक से दो दिन (टी + 2 दिन) के बाद नहीं देना होगा, जहां टी जारी करने की तारीख या क्रेडिट स्लिप की ईमेल की तारीख है, जो भी बाद में हो। यदि किसी दवा की तत्काल आवश्यकता है, तो क्रेडिट स्लिप बैंक के डिस्पेंसरी द्वारा बोली लगाने वाले को भेज दी जाएगी। यदि ऐसी क्रेडिट पर्चियां बोली लगाने वाले को दोपहर 2:00 बजे तक भेज दी जाती हैं और डिलीवरी का पता कोच्ची नगर निगम की सीमा से बाहर है, लेकिन एर्नाकुलम जिले के भीतर है, तो ऐसी दवाओं को जल्द से जल्द लेकिन एक दिन यानी टी + 1 दिन से बाद में नहीं देना होगा,
 - एर्नाकुलम जिले के बाहर:** एर्नाकुलम जिले के बाहर डिलीवरी पते के लिए, दवाओं को जल्द से जल्द लेकिन तीन दिनों से अधिक देर नहीं होनी चाहिए, यानी T+ 3 दिन, जहाँ T क्रेडिट स्लिप की जारी करने की तारीख या ईमेल की तारीख है, जो भी बाद में हो। यदि किसी दवा की तत्काल आवश्यकता है, तो क्रेडिट स्लिप बैंक की डिस्पेंसरी द्वारा बोली लगाने वाले को मेल की जाएगी। यदि ऐसी क्रेडिट स्लिप बोली लगाने वाले को दोपहर 2:00 बजे तक मेल की जाती है और डिलीवरी का पता एर्नाकुलम जिले के बाहर है, तो ऐसी दवाओं को बोली लगाने वाले को जल्द से जल्द लेकिन एक से दो दिन (T+2 दिन) से अधिक देर नहीं होनी चाहिए, जहाँ T क्रेडिट स्लिप की जारी करने की तारीख या ईमेल की तारीख है,

जो भी बाद में हो। बोली लगाने वाले को मेल की गई ऐसी क्रेडिट स्लिप को प्रतिनिधि द्वारा अन्य क्रेडिट स्लिप के साथ डिस्पेंसरी से भौतिक रूप से एकत्र किया जाएगा।

डिलीवरी का समय नीचे संक्षेप में दिया गया है:

क्रमांक।	डिलीवरी का पता	डिलीवरी का समय
1	कोच्ची नगरपालिका सीमा के भीतर	T+1 से बाद में नहीं *यदि क्रेडिट स्लिप 2 बजे तक ईमेल कर दी जाती है, तो T+0
2	कोच्ची नगरपालिका सीमा से बाहर लेकिन एर्नाकुलम जिले के भीतर	T+2 से बाद में नहीं *यदि क्रेडिट स्लिप 2 बजे तक ईमेल की जाती है, तो T+1
3	एर्नाकुलम जिले से बाहर	T+2 से बाद में नहीं *यदि क्रेडिट स्लिप 2 बजे तक ईमेल की जाती है, तो T+2
* T क्रेडिट स्लिप की जारी तिथि या ईमेल तिथि है, जो भी बाद में हो।		

- iv. होम डिलीवरी के मामले में, बोलीदाता को डिलीवरी का प्रमाण प्राप्त करना होगा, अर्थात् प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और नाम प्राप्त करने की आवश्यकता है। बैंक आवश्यकता पड़ने पर डिलीवरी का प्रमाण मांग सकता है और बोलीदाता को सात कार्य दिवसों के भीतर बैंक को इसे प्रस्तुत करना होगा।
- v. यदि बोलीदाता ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी सिस्टम प्रदान करता है, तो लाभार्थी के हस्ताक्षर के बजाय लाभार्थी से ओटीपी या डिलीवरी कोड प्राप्त किया जा सकता है। बोलीदाता को आवेदन पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि बोलीदाता ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी प्रदान कर सकता है या नहीं। ओटीपी आधारित डिलीवरी सुविधा वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
- vi. यदि मरीज घर पर उपलब्ध न हो तो दवाइयां परिवार के सदस्यों को भी सौंपी जा सकती हैं।
- vii. दवाइयों की सफल डिलीवरी के बाद, क्रेडिट स्लिप को मूल बिलों के साथ बैंक में जमा करना होगा। विवरण क्रमांक 11 बिलों की प्रस्तुति में निर्दिष्ट किया गया है। क्रेडिट स्लिप के साथ बिलों को निर्धारित प्रारूप में RBI, कोच्ची को डाक/कूरियर या हाथ से डिलीवरी द्वारा भेजा जाना चाहिए। प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध बिल 'RBI कोच्ची - रोगी का नाम - क्रेडिट स्लिप नंबर' प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए। (कृपया क्रमांक 11. बिलों की प्रस्तुति देखें)।
- viii. बोलीदाता को क्रेडिट स्लिप या इंडेंट में उल्लिखित दवाओं की आपूर्ति करनी होगी। दवा के ब्रांड नाम, कंपनी के नाम, मात्रा आदि में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
- ix. क्रेडिट स्लिप में दवाओं की आंशिक आपूर्ति के मामले में, बोलीदाताओं को आपूर्ति की गई दवा की मात्रा और आपूर्ति की जाने वाली शेष मात्रा को क्रेडिट स्लिप में स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। शेष मात्रा को जल्द से जल्द (अधिकतम दो दिनों के भीतर) यहाँ उल्लिखित डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, केमिस्ट उस विशेष क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध चालान बैंक

को भुगतान के लिए तभी प्रस्तुत करेगा, जब उस क्रेडिट स्लिप में सूचीबद्ध सभी दवाइयाँ केमिस्ट द्वारा वितरित कर दी गई हों।

- x. यदि बोलीदाता के पास दवा उपलब्ध नहीं है या बोलीदाता आपूर्ति के लिए दवा की व्यवस्था करने में असमर्थ है, तो बोलीदाता को क्रेडिट स्लिप तिथि/इंडेंट तिथि से पहले (1 दिन से अधिक नहीं) ईमेल के माध्यम से बैंक की डिस्पेंसरी को इसकी सूचना देनी चाहिए। बैंक की डिस्पेंसरी को सूचित करते समय, बोलीदाता उपलब्ध होने पर विकल्प दवा का विवरण प्रदान कर सकता है। बोलीदाता बैंक की स्वीकृति के बाद ही विकल्प/वैकल्पिक दवा की आपूर्ति कर सकता है।
- xi. **वितरण पते के बारे में एक अस्थायी विचार प्रदान करने के लिए, यह सूचित किया जाता है कि लगभग 60% लाभार्थी एर्नाकुलम जिले में रहते हैं, तथापि, विक्रेता को अनुरोध किए जाने पर देश के किसी भी हिस्से में दवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करनी चाहिए।**
- xii. किसी भी समय, नगर निगम की सीमा के भीतर डिलीवरी के लिए क्रेडिट स्लिप पर सभी दवा ऑर्डर का कम से कम 90% क्रेडिट स्लिप जारी होने के एक दिन के भीतर डिलीवर किया जाना चाहिए (ऊपर पैरा 4 के साथ पढ़ें)। कुछ दवाओं की अनुपलब्धता, लॉजिस्टिक मुद्दों आदि जैसे असाधारण मामलों में, बैंक के लिए सहमत होने के लिए, डिलीवरी के लिए क्रेडिट स्लिप पर सभी ऑर्डर का अधिकतम 10% अगले दिन डिलीवरी की आवश्यकता से अधिक होने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि ऐसे सभी ऑर्डर अधिकतम तीन दिनों के भीतर डिलीवर किए जाने चाहिए। दवाओं की डिलीवरी में देरी, प्रतिनिधि के माध्यम से दैनिक आधार पर क्रेडिट स्लिप का संग्रह न करना भी इस खंड के पैरा 13 में उल्लिखित अन्य शर्तों के साथ-साथ सेवाओं में कमी के रूप में माना जाएगा।
- xiii. आपूर्ति की पूरी डिलीवरी इंडेंट और क्रेडिट स्लिप के लिए ऊपर बताई गई समयसीमा के अनुसार की जाएगी। समय पर दवाइयों की आपूर्ति न होने की स्थिति में, बैंक क्रेडिट स्लिप के संबंध में देरी के प्रत्येक दिन या उसके हिस्से के लिए प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के लिए 100/- रुपये तक की कटौती करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2. मूल्य निर्धारण

- (a) बैंक की निविदा के जवाब में, बोलीदाता को अनुबंध के तहत आपूर्ति की जाने वाली सभी वस्तुओं के संबंध में प्रतिशत के हिसाब से स्ट्रिप/बोतल/यूनिट पैक पर छपी खुदरा कीमत पर एक समान छूट उद्धृत करनी चाहिए, चाहे उनका ब्रांड या निर्माता कोई भी हो। बैंक केवल लेबल किए गए एमआरपी में से उस पर दी गई छूट घटाकर भुगतान करेगा। उद्धृत प्रस्ताव अनुबंध की पूरी अवधि के लिए वैध रहेगा।
- (b) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून के तहत देय किसी भी शुल्क, लेवी या कर का भुगतान करने का दायित्व बोलीदाता का होगा।
- (c) बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर आपूर्ति के संबंध में उचित पैकेजिंग, कार्टिंग, परिवहन, डोरस्टेप डिलीवरी, डिलीवरी पार्टनर आदि से जुड़े सभी खर्च भी वहन करने होंगे।
- (d) बैंक द्वारा किसी अन्य भुगतान/प्रतिपूर्ति/दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. प्रदर्शन बैंक गारंटी

- (a) बैंक के साथ वार्षिक अनुबंध करने पर, जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, बोलीदाता को मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के पक्ष में, अनुलग्नक I में निर्दिष्ट निविदा मूल्य के 10% के लिए एक प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) प्रस्तुत करनी होगी, जो अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 18 महीने के लिए वैध होगी। यदि बैंक कई बोलीदाताओं के साथ कई अनुबंध करता है, तो वार्षिक अनुबंध के लिए चयनित बोलीदाताओं के बीच PBG को समान रूप से विभाजित किया जाएगा।
- a) पीबीजी पर देय ब्याज के संबंध में बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। पीबीजी अनुबंध की वैधता के बाद छह महीने तक वैध रहना चाहिए। यदि इस अनुबंध के अनुसरण में अधिकृत बोलीदाता द्वारा उन पर दी गई क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध आपूर्ति की गई दवाएँ बाद में चोरी की गई या गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो पीबीजी की राशि जब्त कर ली जाएगी। पीबीजी को निम्नलिखित शर्तों के तहत लागू किया जाएगा:
- कार्य प्रारंभ न होने की स्थिति में
 - अनुबंध के दायित्वों का पालन न करने या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने, अधिक शुल्क लेने या निर्धारित अवधि से अधिक देरी से डिलीवरी करने की स्थिति में।
 - यदि इस अनुबंध के अनुसरण में आपूर्ति आदेश के तहत अधिकृत केमिस्ट द्वारा आपूर्ति की गई दवाइयाँ बाद में चोरी की हुई, घटिया, नकली या स्थानापन्न दवाइयाँ या गुणवत्ता के अनुरूप न पाई जाती हैं।
 - प्रस्तावित छूट का पालन न करना।
 - बिलिंग में विसंगतियाँ।
 - सेवा में कोई अन्य कमी

4. बयाना राशि जमा (ईएमडी)

- (a) बोलीदाताओं को मूल्य-बोली में भाग लेने के समय, अनुलग्नक I में निर्दिष्ट अपेक्षित वार्षिक खरीद के 2% के बराबर राशि के लिए बयाना राशि जमा करनी होगी, जिसे केवल NEFT के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के बैंक खाते में भेजा जाएगा। NEFT का विवरण नीचे दिया गया है: -

बयाना राशि जमा (ईएमडी)	₹2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र) (कुल अनुबंध मूल्य का 2% प्रत्येक बोलीदाता द्वारा जमा किया जाएगा) भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के पक्ष में	
	लाभार्थी खाता संख्या:	186003001
	आईएफएससी:	आरबीआईएस0केसीपीए01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर अंकीय शून्य)
	लाभार्थी का नाम:	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची

- (b) मूल्य-बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी असफल बोलीदाताओं को ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

- (c) यदि कार्य दिए जाने के बाद बोलीदाता 7 दिनों के भीतर कार्य आरंभ करने में विफल रहता है, तो उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी, तथा ऐसे बोलीदाता को दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी भावी निविदा में भाग लेने या बैंक में कोई भी कार्य करने से भी वंचित किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे बोलीदाता को वंचित करने से पहले, बैंक नोटिस देगा तथा बोलीदाता द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।
- (d) सफल बोलीदाता के मामले में बयाना राशि प्रदर्शन बैंक गारंटी की प्राप्ति के तुरंत बाद वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

5. अनुबंध की अवधि

- (a) यह अनुबंध केवल 12 महीने (01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026) के लिए वैध रहेगा। बैंक बोलीदाता के साथ अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय 30 दिन पहले नोटिस देकर वार्षिक अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 30 दिनों की अवधि का नोटिस जारी करते समय बैंक कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- (b) बैंक के पास मौजूदा वार्षिक अनुबंध की वैधता को बैंक की आवश्यकता के अनुसार अवधि के लिए या एक बार में एक वर्ष के लिए और उसी छूट दर पर बोलीदाताओं के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन बढ़ाने का अधिकार भी सुरक्षित है। बोलीदाताओं को बैंक द्वारा वैधता बढ़ाए जाने की स्थिति में विस्तारित वैधता और नए वार्षिक अनुबंध के साथ संशोधित प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG) जमा करनी होगी। किसी भी स्थिति में, अनुबंध अवधि कुल मिलाकर तीन वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।
- (c) आपूर्तिकर्ता के संतोषजनक प्रदर्शन और बैंक की प्रशासनिक सुविधा और आवश्यकताओं के अधीन, बैंक द्वारा अनुबंध की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
- (d) वार्षिक क्रय अनुबंध के संबंध में, अनुबंध की अंतिम तिथि तक अनुबंध के विरुद्ध आपूर्ति आदेश दिए जाएंगे। समापन तिथि पर भी प्राप्त आदेशों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए, भले ही दवाओं की आपूर्ति की तिथि पर अनुबंध की अंतिम तिथि समाप्त हो गई हो।
- (e) आपूर्तिकर्ता को बैंक को 30 दिन का नोटिस दिए बिना दवाओं/औषधियों की आपूर्ति बंद नहीं करनी चाहिए।
- (f) यदि आपूर्तिकर्ताओं की सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं, तो बैंक वार्षिक अनुबंध को तुरंत समाप्त करने और आपूर्तिकर्ताओं को दवाओं की आपूर्ति से हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, ऐसे आपूर्तिकर्ता को समाप्त करने/हटाने से पहले, बैंक नोटिस देगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

6. पात्रता स्थापित करने वाले दस्तावेज़

आवेदन के साथ पूर्व-योग्यता (पीक्यू) मानदंड के एक भाग के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

- a) बोलीदाता के लेटर हेड पर विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित निविदा प्रपत्र (अनुलग्नक-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार)।
- b) बोलीदाता के लेटर हेड पर विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र (अनुलग्नक II में दिए

गए प्रारूप के अनुसार)।

- c) अनुबंध XIV में दिए गए प्रारूप के अनुसार बोलीदाताओं के बैंकर से शोधन क्षमता हेतु बैंकर प्रमाणपत्र।
- d) बोलीदाता को अनुलग्नक IV के अनुसार अपने बैंकर और बैंक खाते का विवरण तथा खाते का रद्द चेक प्रस्तुत करना होगा।
- e) पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाने वाली ग्राहक सूची और कार्य आदेशों की प्रति के साथ अनुबंध V के अनुसार 07 अप्रैल, 2020 से पहले प्राप्त कम से कम एक समान कार्य आदेश का विवरण, उपरोक्त खंड III (बी) के पैरा (बी) में निर्दिष्ट कार्य अनुभव को स्थापित करने के लिए।
- f) उपरोक्त अनुलग्नक VI में खंड III (बी) के पैरा (सी) में निर्दिष्ट ग्राहकों से प्रत्येक योग्यता कार्य के लिए ग्राहक रिपोर्ट / प्रमाण पत्र।
- g) अनुलग्नक IX में दिए गए प्रारूप के अनुसार 500 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सत्यनिष्ठा समझौता।
- h) निम्नलिखित की स्व-सत्यापित प्रतियां:
 - i. कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व के पंजीकरण की प्रति
 - ii. आवेदन की तिथि तक केमिस्ट के पास वैध लाइसेंस।
 - iii. वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
 - iv. केमिस्ट को आवंटित वैध पैन कार्ड की प्रति।
- i) कोच्ची में दुकान/प्रतिष्ठान का दस्तावेजी साक्ष्य।
- जे) एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकृत होने पर एमएसएमई प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति।
- k) ईएमडी जमा करने का प्रमाण। लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ धन प्रेषण का प्रमाण भाग। दस्तावेजों में अपलोड किया जाएगा।
- एल) राज्य औषधि नियंत्रक से दोषसिद्धि प्रमाण पत्र की प्रति कि केमिस्ट/फर्म को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है और फर्म/केमिस्ट के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ-साथ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 या औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 या समय-समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों के अंतर्गत कोई मामला लंबित नहीं है। इसके बदले में विधिवत नोटरीकृत शपथ-पत्र स्वीकार्य है।
- एम) पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों (2023-24, 2022-23 और 2021-22) के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट की प्रतियां, और संबंधित मूल्यांकन वर्षों के लिए आईटी रिटर्न और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम बैलेंस शीट की प्रति के साथ-साथ वित्तीय वर्षों (2024-25, 2023-24 और 2022-23) के लिए वार्षिक टर्नओवर को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।
- उपर्युक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त, बैंक को किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का अधिकार है।

7. वार्षिक कार्य अनुबंध प्रदान करना

बोलीदाताओं को एमआरपी पर उनके द्वारा दी जाने वाली समान छूट को प्रतिशत में प्रस्तुत करना आवश्यक है। उदाहरण: यदि बोलीदाता 25% छूट देना चाहता है तो उसे आवश्यक फ़ील्ड में केवल 25 का उल्लेख करना होगा।

i) एक से अधिक एच1 (एमआरपी पर उच्चतम एकसमान छूट देने वाले) बोलीदाता होने की स्थिति में, संपूर्ण कार्य एच1 बोलीदाताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

ii) अन्यथा, पूरा काम H1 और H2 बोलीदाताओं के बीच बराबर-बराबर बांटा जाएगा, बशर्ते कि H2 बोलीदाता H1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित और स्वीकृत दरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। यह H1 बोलीदाता की कार्य क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है और इसका उद्देश्य केवल एक आपूर्तिकर्ता पर पूरी निर्भरता को कम करना है।

iii) यदि एच2 बोलीदाता एच1 दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं है तो एच3, एच4, इत्यादि बोलीदाताओं को उसी क्रम में ऊपर उल्लिखित अनुसार कार्य देने के लिए एच1 दर से मेल खाने का अवसर दिया जाएगा।

iv) यदि H2, H3, H4 आदि, H1 की प्रस्तावित दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं हैं, तो संपूर्ण कार्य H1 बोलीदाता को दिया जाएगा।

विक्रेता बैंक की बीएमसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मांगपत्रों के आधार पर निर्धारित समय में तथा निर्दिष्ट स्थान पर सहमत छूट पर दवाइयों की आपूर्ति करेगा।

vi) बैंक अपने क्रय को दो या अधिक विक्रेताओं/बोलीदाताओं के बीच विभाजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। vii) बैंक बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

vii) सफल बोलीदाता अनुलग्नक VIII में दिए गए प्रारूप के अनुसार बैंक के साथ वार्षिक अनुबंध समझौता करेंगे। यह अनुबंध 01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 की अवधि के लिए वैध होगा और विक्रेता/बोलीदाता द्वारा उद्धृत एकसमान छूट इस अवधि के लिए स्थिर और वैध रहेगी।

ix) सभी विक्रेता कृपया ध्यान दें कि यदि भविष्य में निविदा दस्तावेज में कोई संशोधन/शुद्धिपत्र जारी किया जाता है, तो उसे आरबीआई वेबसाइट और एमएसटीसी वेबसाइट पर ऊपर दिए अनुसार अधिसूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

8. किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार

(a) निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त अथवा किसी भी प्रकार से अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(b) बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(c) बैंक को अपने हित में इस दस्तावेज़ में किसी भी आवश्यकता को अपने विवेक से संशोधित / परिवर्तित करने का अधिकार है, जैसा कि वह उचित समझे।

(d) बैंक किसी भी समय बिना कोई कारण बताए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय बाध्यकारी और अंतिम होगा।

9. स्वीकृति की अधिसूचना:

बैंक आवेदन की स्वीकृति की सूचना पत्र/ई-मेल द्वारा देगा।

10. आपूर्ति की डिलीवरी:

- (a) हर दवा की अपनी शेल्फ लाइफ अवधि होती है, जिसका उल्लेख दवा के लेबल पर किया जाता है। आपूर्ति की गई दवा की शेल्फ लाइफ आपूर्ति के समय उसकी शेल्फ लाइफ के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (b) दवाओं के विशिष्ट ब्रांड के लिए मांग के मामले में, ब्रांड को प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा। अन्य मामलों में, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की अनुसूची एम विनिर्देशों की पुष्टि करने वाली दवाएं आपूर्ति की जाएंगी।
- (c) आपूर्ति निर्माता की मूल पैकिंग में ही की जानी चाहिए। पैकिंग किसी विशेष दवा/औषधि की कुल मात्रा के लगभग निकटतम होनी चाहिए।
- (d) बोलीदाता को 30 दिन का नोटिस दिए बिना दवाइयों की आपूर्ति बंद नहीं करनी चाहिए।

आपातकालीन स्थिति में दवाओं की आपूर्ति इंडेंट के माध्यम से की जाएगी

- (e) बैंक से आपूर्ति हेतु मांगपत्र प्राप्त होने पर, आपूर्ति की पूर्ण डिलीवरी बैंक के औषधालय परिसर में, जिससे मांगपत्र संबंधित है, औषधालय के कार्य समय के दौरान यथाशीघ्र, किन्तु तीन कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी।
- (f) बैंक को समाप्ति तिथि के करीब पहुंच चुकी दवाओं, अर्थात् तीन महीने की शेल्फ लाइफ वाली दवाओं को विक्रेता को वापस करने का विवेकाधिकार होगा।
- (g) आपूर्तिकर्ता संबंधित औषधालयों को औषधियों/औषधियों की आपूर्ति करते समय मांगपत्र में बैच संख्या, निर्माता का नाम, समाप्ति तिथि अंकित करेगा।

यदि दवाइयों की आपूर्ति क्रेडिट स्लिप के माध्यम से की जाती है

- (h) क्रेडिट स्लिप प्राप्त होने पर प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध दवाइयां अलग-अलग सीलबंद पैकेटों में कर्मचारियों/सेवानिवृत्तों के कार्यालय/घर पर आपूर्ति की जाएंगी।
- (i) डिलीवरी बिंदु 1 'कार्य का दायरा' में उल्लिखित विवरण के अनुसार की जानी चाहिए।
- (j) आपूर्तिकर्ता को प्राप्तकर्ता (सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारी/बैंक के पात्र आश्रित) से प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के लिए डिलीवरी का प्रमाण लेना होगा, जिसमें डिलीवरी की तारीख और समय का उल्लेख हो। ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम के मामले में हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यदि आपूर्तिकर्ता ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी की सेवा प्रदान करने के लिए सहमत है, तो सभी डिलीवरी केवल ओटीपी/डिलीवरी कोड-आधारित डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से की जानी चाहिए। ओटीपी आधारित डिलीवरी सुविधा वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। बैंक आवश्यकता पड़ने पर डिलीवरी का प्रमाण मांग सकता है और आपूर्तिकर्ता को सात कार्य दिवसों के भीतर बैंक को इसे प्रस्तुत करना होगा।

11. विधेयक प्रस्तुत करना:

- (a) आपूर्तिकर्ता को नीचे उल्लिखित आपूर्ति के लिए आरबीआई कोच्ची कार्यालय में एक समेकित रिपोर्ट, बिल और क्रेडिट स्लिप प्रस्तुत करनी होगी।

क्रमांक	जारी की गई क्रेडिट स्लिप के लिए आपूर्ति की गई दवाइयां	समेकित रिपोर्ट और बिल जमा करने की तिथि
1	महीने की 01 तारीख से लेकर महीने की 10 तारीख तक	महीने की 15 तारीख तक नवीनतम
2	महीने की 11 तारीख से लेकर महीने की 20 तारीख तक	महीने के 25 ^{वें} दिन तक नवीनतम
3	21 तारीख से लेकर महीने के आखिरी दिन तक	अगले माह के 05 ^{वें} दिन तक

- (b) बिल के साथ, नीचे दिए गए प्रारूप (अस्थायी) में एक समेकित रिपोर्ट बैंक को (एक्सेल प्रारूप में) प्रदान की जानी चाहिए। **अस्थायी प्रारूप इस प्रकार है:**

क्रमांक	बिल नहीं	मरीज का नाम	एमआरपी	देय राशि (एमआरपी - छूट)	कर योग्य मूल्य (जीएसटी से पहले और छूट के बाद)
यह प्रारूप अस्थायी है और भविष्य में बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। आपूर्तिकर्ता अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार अपने प्रारूप में एक्सेल फ़ाइल में डेटा प्रदान कर सकते हैं, हालाँकि, तालिका में उल्लिखित उपरोक्त फ़ील्ड अनिवार्य हैं।					

- (c) प्रत्येक क्रेडिट स्लिप के विरुद्ध बिल को निर्दिष्ट नाम प्रारूप 'आरबीआई कोच्ची- रोगी का नाम - क्रेडिट स्लिप नंबर' में तैयार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, रोगी एबीसी को क्रेडिट स्लिप नंबर 312 जारी किया जाता है, तो बिल 'आरबीआई कोच्ची -एबीसी-312' प्रारूप में तैयार किया जा सकता है।
- (d) बिल में आपूर्ति का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए जैसे कि वस्तु का नाम, मात्रा, दर, छूट राशि, निर्माता का नाम, बैच संख्या, निर्माण की तिथि और समाप्ति तिथि, इंडेंट/क्रेडिट स्लिप संख्या सहित तिथि आदि तथा बैंक द्वारा अपेक्षित अन्य जानकारी।
- (e) प्रत्येक बिल के साथ इंडेंट/क्रेडिट स्लिप संलग्न होगी।
- (f) बैंक द्वारा स्रोत पर लागू करों की कटौती करने के बाद भुगतान किया जाएगा तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (g) अपूर्ण बिलों के साथ उपरोक्त (बी) एवं (सी) में उल्लिखित कोई भी विवरण न होने पर उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (h) बोलीदाता को निर्धारित प्रारूप में क्रेडिट स्लिप की सॉफ्ट कॉपी भी रखनी होगी, जिसे बिल प्रस्तुत करने से पहले बैंक में जमा करना होगा।

12. भुगतान:

- (a) महीने के दौरान प्रस्तुत बिलों का भुगतान आम तौर पर अगले महीने की 20 तारीख तक किया जाएगा। हालांकि, किसी भी कारण से भुगतान में देरी होने पर आपूर्तिकर्ता बैंक से ब्याज या नुकसान के संबंध में कोई दावा नहीं करेगा।
- (b) भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया जाना चाहिए जिसके लिए आपूर्तिकर्ता को बैंक/शाखा का पता, खाता संख्या, खाते का शीर्षक आदि अपेक्षित विवरण देना होगा।
- (c) भारतीय कानून के अनुसार, लागू करें की कटौती स्रोत पर की जाएगी तथा इसके लिए सेवा प्रदाता को प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- (d) आपूर्ति की पूरी डिलीवरी जल्द से जल्द या इंडेंट और क्रेडिट स्लिप के लिए ऊपर बताई गई समयसीमा के अनुसार की जाएगी। समय पर दवाइयों की आपूर्ति न होने की स्थिति में, बैंक क्रेडिट स्लिप के संबंध में देरी के प्रत्येक दिन या उसके हिस्से के लिए आपूर्तिकर्ता के प्रत्येक बिल से 100/- काटने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13. भ्रष्ट, धोखाधड़ी या अनैतिक व्यवहार

बैंक की अपेक्षा है कि आपूर्तिकर्ता दवाओं की आपूर्ति के लिए अनुबंध की खरीद और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करे। आपूर्ति की जाने वाली दवाइयाँ/औषधियाँ मानक गुणवत्ता की होंगी। इसके अनुसरण में, शर्तें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:

- a. आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया या अनुबंध निष्पादन में बैंक के किसी भी अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए किसी भी मूल्यवान वस्तु की पेशकश, देना, प्राप्त करना या मांगना नहीं करेगा।
- b. आपूर्तिकर्ता बैंक के लिए हानिकर किसी अनुबंध की प्रक्रिया या निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करेगा।
- c. बैंक किसी आपूर्तिकर्ता को अनुबंध प्रदान करने के लिए अनिश्चित काल के लिए या निर्दिष्ट समयावधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा, यदि किसी भी समय यह पता चले कि आपूर्तिकर्ता ने अनुबंध के निष्पादन में भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यवाहियाँ की हैं।
- d. बैंक, अनुबंध के उल्लंघन के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकानुसार, निम्नलिखित में से किसी भी कारण से किसी भी आपूर्तिकर्ता के संबंध में अनुबंध को पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है:
 - i. यदि केमिस्ट अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई या सभी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है
 - ii. घटिया/नकली/विकल्प दवाओं की आपूर्ति,
 - iii. दवाओं की आपूर्ति में देरी/आपूर्ति से इनकार/आपूर्ति न करना,
 - iv. बिल में अधिक शुल्क लगाना,
 - v. यदि यह पाया जाता है कि किसी विशेष दवा की तिथि समाप्त हो चुकी है या समाप्ति तिथि के करीब है।
 - vi. यदि आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत किसी अन्य दायित्व को पूरा करने में विफल रहता है
 - vii. बैंक के निर्णय के अनुसार, वह भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों में लिप्त है।

- viii. यदि आपूर्तिकर्ता, जो एक व्यक्ति है, की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता के पास अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा, तथा ऐसी समाप्ति के लिए विक्रेता को कोई मुआवजा दिए बिना कोई दायित्व नहीं होगा।
- e. यदि भुगतान के बाद या पहले की जांच के दौरान ऊपर (घ) में दर्शाया गया ऐसा कोई मामला पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता को बैंक द्वारा पहले से भुगतान की गई विवादित/अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी, संबंधित दवाइयों को बदलना होगा। बैंक देय भुगतान रोक सकता है या आपूर्तिकर्ता को देय राशि से ऐसी आपूर्ति की लागत वसूल सकता है।
- f. बैंक अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय आपूर्तिकर्ता से इंडेंट या क्रेडिट स्लिप के माध्यम से बैंक द्वारा खरीदी जा रही किसी भी दवा/दवाओं की ड्रग टेस्ट रिपोर्ट मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि बैंक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से सरकारी प्रयोगशाला/सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं के माध्यम से ड्रग टेस्ट कराया जाना चाहिए।

14. सर्वोत्तम मूल्यों की प्रयोज्यता

यदि आपूर्तिकर्ता जिसके साथ बैंक ने वार्षिक खरीद अनुबंध किया है, दर अनुबंध की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति या संगठन को बैंक के अनुबंध के समान बिक्री की शर्तों का पालन करते हुए अधिक छूट प्रदान करता है या दवाइयाँ बेचता है या बेचने की पेशकश करता है, तो बैंक पर लागू छूट दर अनुबंध के तहत सभी बाद की आपूर्तियों के लिए उस तिथि से स्वचालित रूप से बढ़ जाएगी और अनुबंध को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। अन्य समानांतर अनुबंध धारकों को, यदि कोई हो, अपनी कीमत कम करने का अवसर दिया जाएगा, उन्हें कम कीमत की सूचना देकर और उन्हें अपनी संशोधित कीमतों को सूचित करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देकर, यदि वे ऐसा चाहें, तो निर्दिष्ट तिथि और समय पर सार्वजनिक रूप से खोले जाने वाले सीलबंद लिफाफे में और मानक अभ्यास के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपूर्तिकर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार समाप्त हो चुकी दवाओं को भी बदलेगा और बैंक और आपूर्तिकर्ता के बीच किए जाने वाले समझौते की शर्तों का भी पालन करेगा।

15. क्षतिपूर्ति

- (a) आपूर्तिकर्ता इस अनुबंध के कार्य के निष्पादन में या इसके संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध किसी भी बात के संबंध में बैंक के विरुद्ध लाई गई या की गई सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, दावों और मांगों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और इस उद्देश्य के लिए इस दस्तावेज या अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण और इस अनुबंध के निष्पादन में की गई या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध किसी भी बात के लिए आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध लाई गई किसी भी कार्रवाई या मुकदमे के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी भी हानि या क्षति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा।
- (b) आपूर्तिकर्ता भारत में प्रचलित कार्य सुरक्षा उपायों का पालन करेगा और बैंक को दुर्घटनाओं या जीवन की हानि से उत्पन्न होने वाली सभी मांगों या जिम्मेदारियों से मुक्त करेगा, जिसका कारण आपूर्तिकर्ता की

लापरवाही है। आपूर्तिकर्ता बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के ऐसी घटनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा और बैंक को जिम्मेदार या बाध्य नहीं करेगा।

(c) यदि इस प्रकार तैनात आपूर्तिकर्ता का कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार के विवाद में उलझता है, तो उसे निपटाना/विवाद करना आपूर्तिकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि बैंक को पक्ष बनाया जाता है और उसे मामले का विरोध करना होता है, तो बैंक को वकील की फीस और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा बैंक को मांग किए जाने पर अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसके अलावा, आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में बैंक पर किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या अन्य देयता न आए और इस संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

16. निषिद्ध/अयोग्य घोषित करना

यदि आपूर्तिकर्ता अनुबंध की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो बैंक आपूर्तिकर्ता को किसी भी प्रक्रिया में भाग लेने या बैंक को दवाइयों की आपूर्ति करने से तीन साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित/अयोग्य/सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, ऐसा करने से पहले बैंक आपूर्तिकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है और आपूर्तिकर्ता द्वारा ऐसे नोटिस पर प्रस्तुत किए गए उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

17. मध्यस्थता करना

यह अनुबंध आपसी विश्वास और भरोसे पर आधारित है। दोनों पक्ष सद्भावनापूर्वक कार्य पूरा करने के लिए सहमत हैं। यदि अनुबंध के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का कोई विवाद या मतभेद (जिसका निर्णय अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है) बैंक और आपूर्तिकर्ता के बीच उत्पन्न होता है, चाहे अनुबंध अवधि के दौरान या पूरा होने के दौरान और चाहे अनुबंध की समाप्ति, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में, बैंक के एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा जो आपूर्तिकर्ता को अपने निर्णय का लिखित पुरस्कार देगा। बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

18. कानूनी मुकदमे

समझौते/अनुबंध से संबंधित या उससे उत्पन्न सभी कानूनी मुकदमे, कार्रवाई या कार्यवाहियां केवल कोच्ची स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगी।

19. गैर-प्रकटीकरण खंड

आपूर्तिकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों, अवसंरचनाओं/प्रणालियों/उपकरणों आदि के बारे में कोई भी सूचना सामग्री और विवरण किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान आपूर्तिकर्ता के कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं और हर समय उन्हें सबसे सख्त गोपनीयता में रखेगा। आपूर्तिकर्ता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि लागू कानूनों का पालन करने के लिए इसके तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सीमा तक। आपूर्तिकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र में कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या अन्यत्र प्रकट नहीं

करेगा। आपूर्तिकर्ता या उसके कर्मचारियों/एजेंटों द्वारा किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए आपूर्तिकर्ता बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन न करने को आपूर्तिकर्ता की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपायों का पालन करने का हकदार होगा। आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों/एजेंटों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व को पूरी तरह से संतुष्ट किया गया है।

20. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

- (a) आपूर्तिकर्ता "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत को उक्त अधिनियम के तहत गठित उचित समिति को भेजा जाएगा। आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों या एजेंट या आपूर्ति पुरुषों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। आपूर्तिकर्ता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
- (b) आपूर्तिकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा लिया जाएगा।
- (c) यदि घटना में आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी, एजेंट या आपूर्ति कर्मी शामिल हों तो आपूर्तिकर्ता को किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना होगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि आपूर्तिकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है।
- (d) आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों या एजेंटों या आपूर्ति पुरुषों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (e) आपूर्तिकर्ता को अपने कर्मचारियों या एजेंटों या आपूर्ति कर्मियों की पूर्ण और अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी, जो बैंक परिसर में अनुबंध के प्रयोजनों के लिए तैनात हैं।

श्रम कानूनों का वैधानिक अनुपालन : बोलीदाता को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (एवं विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी दायित्व अधिनियम, 1938; बच्चों के रोजगार अधिनियम, 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम और/या अन्य नियम/विनियम और/या क़ानून जो उन पर लागू हो सकते हैं, के आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। बोलीदाता उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आरबीआई, कोच्ची को सभी प्रकार की चूक, गलती, उल्लंघन और/या उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय से मुआवजा देगा। बोलीदाता द्वारा यहां और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/या इनमें से किसी के तहत बनाए गए किसी उपनियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता के मामले में, आरबीआई, कोच्ची ऐसे किसी भी नुकसान या

खर्च को कवर करने का हकदार होगा, जो उसे ऐसे दावों, मांग, हानि या चोट के कारण उठाना पड़ सकता है या उठाना पड़ सकता है, बोलीदाता के मासिक भुगतान से।

प्राधिकृत केमिस्ट बैंक से प्राप्त किसी भी ऑर्डर/क्रय ऑर्डर के लिए उप-ठेका नहीं लेंगे।

22. बोलीदाता की दिवालियापन या मृत्यु

बोलीदाता के दिवालिया घोषित होने या स्वेच्छा से परिसमापन में जाने या उसके विरुद्ध दिवालियापन अधिनियम के तहत कोई आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होने या किसी कंपनी के नाम पर, किसी भी प्रस्ताव को पारित करने या स्वैच्छिक रूप से या अन्यथा समापन के लिए कोई आदेश जारी करने या विक्रेता द्वारा यहां निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा। विक्रेता के उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को बैंक की लिखित सहमति के बिना विक्रेता की मृत्यु के मामले में या अनुबंध के तहत कर्तव्यों या दायित्वों को जारी रखने का अधिकार नहीं होगा। विक्रेता द्वारा पूर्वोक्त सहमति से अपना व्यवसाय हस्तांतरित करने की स्थिति में, और विक्रेता के कंपनी होने की स्थिति में और इस अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने व्यवसाय को किसी व्यक्ति या कंपनी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से बंद कर दिए जाने की स्थिति में, विक्रेता को इस संपत्ति और व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए अनुबंध की शर्तों और शर्तों में से एक यह बनाना होगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति या कंपनी इस अनुबंध के तहत विक्रेता के कर्तव्यों या दायित्वों का पालन करना जारी रखेगी और उसके तहत उसकी देनदारियों के अधीन होगी। इस संबंध में मृत्यु का प्रमाण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज बैंक को लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी के मामले में यदि विक्रेता की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा दिए बिना अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।

23. बीमा

सफल बोलीदाता/ओं को अनुबंध मूल्य के लिए एक वर्ष के लिए "सभी जोखिम पॉलिसी" लेनी होगी, जो उसके बाद बैंक द्वारा अनुबंध का नवीनीकरण किए जाने पर नवीनीकृत की जाएगी; ऐसा न करने पर सफल बोलीदाता या उसके कर्मचारियों, एजेंटों, समनुदेशिनी आदि द्वारा किसी कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी/लाभार्थी या किसी आकस्मिक तीसरे पक्ष के जीवन, व्यक्ति, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा और/या व्यवसाय के दौरान बैंक या उसके कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/लाभार्थियों की संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने का सभी दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। ऐसी पॉलिसी प्राप्त करने में विफल रहने पर, बैंक सफल बोलीदाता से नुकसान के मौद्रिक समतुल्य राशि वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है (बोलीदाता के बकाया बिलों से कटौती योग्य लेकिन उस तक सीमित नहीं)।

24. अप्रत्याशित घटना

इस दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके अधीन दायित्वों के निष्पादन में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसी देरी उसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुई

25. अस्वीकरण

26. इस अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक सभी व्यय पूरी तरह से विक्रेता/आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

29

खंड – VI

बोली-पूर्व बैठक

बोली-पूर्व बैठक का विवरण नीचे दिया गया है: -

1	नोटिस की तिथि	23 मई, 2025
2	बोली-पूर्व बैठक की तिथि	09 जून, 2025
3	बोली-पूर्व बैठक का समय	दिन के 11 बजे
4	बैठक का तरीका	आरबीआई परिसर में ऑफलाइन
5	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची
6	पूरा पता	भारतीय रिज़र्व बैंक, बनर्जी रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्ची
7	प्रवेश पास	प्रवेश पास की व्यवस्था के लिए कृपया अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर 05 जून 2025 तक या उससे पहले hrrmdkochi@rbi.org.in पर ई-मेल करें।

अनुलग्नक I
निविदा का प्रारूप

जगह:
तारीख:

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय स्थापना अनुभाग
चिकित्सा अनुभाग
कोच्ची

महोदय,

निविदा आमंत्रण सूचना, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों, निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेशों और ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य के लिए निविदा दस्तावेज में अन्य सभी सामग्री को पढ़ने और जांचने के बाद और निविदा को प्रभावित करने के रूप में संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट लाभार्थियों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर भाग II में निहित मूल्य बोली में उल्लिखित छूट पर और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं, दवाइयों की आपूर्ति करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

एनआईटी सं. / ई-निविदा सं.	
कार्य का नाम:	केरल राज्य में बैंक के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों (जिन्हें "लाभार्थी" कहा जाता है) को दवाइयों की होम डिलीवरी
कार्य की अनुमानित लागत	1,10,00,000/- (केवल एक करोड़ दस लाख रुपये)
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	₹2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रुपये मात्र)
प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी)	₹11,00,000/- (केवल ग्यारह लाख रुपए) (₹5,50,000/- अर्थात पांच लाख पचास हजार रुपये केवल यदि कार्य दो बोलीदाताओं के बीच वितरित किया जाता है)

2. हम निविदा को वैधता अवधि (01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026) तक खुला रखने तथा वैधता अवधि या आपसी सहमति से किसी अन्य विस्तारित अवधि के दौरान इसके नियमों और शर्तों में कोई संशोधन नहीं करने पर सहमत हैं।

3. निविदा दस्तावेज के खंड III (ए) के पैरा 3 में बयाना राशि के रूप में उल्लिखित 2,20,000- (दो

लाख बीस हजार रुपये मात्र) की राशि एतद्वारा उसमें निर्दिष्ट प्रपत्र में अग्रेषित/अपलोड की जाती है। यदि मैं/हम, खंड III (ए) के पैरा 4 में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी, किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, उक्त बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा, यदि मैं/हम सात (07) दिनों के भीतर काम शुरू करने में विफल रहते हैं, तो मैं/हम सहमत हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके उत्तराधिकारी कानून में उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के पूर्वाग्रह के बिना, उक्त प्रदर्शन बैंक गारंटी को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. इसके अतिरिक्त, मैं/हम सहमत हैं कि उपर्युक्त बयाना राशि या निष्पादन बैंक गारंटी जब्त होने की स्थिति में, मुझे/हमें कार्य की पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

5. मैं/हम वचन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि पात्र समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैंक-टू-बैंक आधार पर निष्पादित नहीं किया गया है। इसके अलावा, यदि ऐसा कोई उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आता है, तो मुझे/हमें भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक में निविदा देने से रोक दिया जाएगा। साथ ही, यदि ऐसा कोई उल्लंघन कार्य शुरू होने की तिथि से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आता है, तो नियोक्ता बयाना राशि जमा/प्रदर्शन बैंक गारंटी की पूरी राशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेज तथा कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज मानेंगे तथा उनसे प्राप्त सूचना को उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करेंगे, जिसे मैं/हम संप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत हूँ/हैं अथवा सूचना का किसी भी प्रकार से भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा के लिए हानिकारक उपयोग नहीं करेंगे।

7. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम इसके साथ संलग्न अनुबंध की शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या इसके अभाव में उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि जब्त कर भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

8. हमारे बैंकर्स हैं (नाम और पूरा पता) –

हमारी फर्म के साझेदारों के नाम हैं:

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के साझेदार का नाम:

भवदीय

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते –

	हस्ताक्षर	पता
(मैं)		
(ii)		

भारतीय रिज़र्व बैंक

कोच्ची में कार्यालय, कॉलोनियों और केरल राज्य में कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के निवास पर क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की सीधी डिलीवरी के लिए आवेदन पत्र

क्र	वस्तु	विवरण
1	आपूर्तिकर्ता का नाम	
2	संविधान (कंपनी/ साझेदारी/ स्वामित्व)	
3	पंजीकरण का विवरण (पंजीकरण प्राधिकारी; पंजीकरण संख्या और दिनांक)	
4	व्यवसाय प्रारंभ करने का वर्ष	
5	जीएसटी नं .	
6	पैन नं.	
7	क्या निर्माता/ अधिकृत वितरक/ डीलर/ एजेंसी है	
8	बैंक के साथ प्रतिबद्धता करने के लिए अधिकृत स्वामी/भागीदार/निदेशक/पदनाम सहित अधिकारी का नाम	
9	टेलीफ़ोन नंबर।: मोबाइल नहीं है।: ई-मेल	

10	पता	
11	क्या आपूर्तिकर्ता के पास आवेदन की तिथि पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी एलोपैथिक औषधियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वैध लाइसेंस है। कृपया लाइसेंस का विवरण दें।	
12	क्या आपूर्तिकर्ता को राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा दोषी ठहराया गया है।	
13	क्या आपूर्तिकर्ता के पास जीएसटी निकासी प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	
14	क्या बिलिंग प्रणाली कम्प्यूटरीकृत है?	
15	सर्वोत्तम मूल्य मानदंड पर सहमति (पैरा 14 देखें) (हां/नहीं)	
16	दवाइयों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता के सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/कॉर्पोरेट ग्राहकों के नाम। संपर्क व्यक्ति का नाम और टेलीफोन नंबर भी दें।	
17	प्रधान बैंकर का नाम और पता कृपया टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध कराएं।	
18	वित्तीय वर्ष का वार्षिक कारोबार:	2021 - 22
		2022 -2 3
		2023 -2 4
19	क्या आपूर्तिकर्ता का पिछले 3 वित्तीय वर्षों में न्यूनतम टर्नओवर 55,00,000/- रूपये है। (पिछले तीन वित्तीय वर्षों की बैलेंस शीट की प्रतियां, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित/आईटीआर/चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र)	
20	क्या ग्राहक रिपोर्ट/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है (हां/नहीं) अनुलग्नक III	
21	क्या बैंकर्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया है (हां)	

	/ नहीं) अनुलग्नक IV	
22	क्या सार्वजनिक संस्थान(ओं) द्वारा निषेध की घोषणा प्रस्तुत की गई है (हां/नहीं) अनुलग्नक V	
23	क्या आपूर्तिकर्ता ओटीपी/डिलीवरी कोड आधारित डिलीवरी प्रदान कर सकता है (हां/नहीं)	
24	आपूर्तिकर्ता की दुकानों/आउटलेटों की संख्या (सभी दुकानों/दुकानों का पता अलग से दिया जा सकता है)	

मैंने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नोटिस को पढ़ लिया है और समझ लिया है, जिसमें औषधियों और दवाओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड और नियम और शर्तें शामिल हैं। मैं नियम और शर्तों को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हस्ताक्षर

नाम:

पद का नाम:

तारीख:

मुहर:

**प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक के प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अलग से भरा और मुद्रित किया जा सकता है)**

ग्राहक का नाम एवं पता:

श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण
(आपूर्तिकर्ता का नाम)

1. कार्य का नाम एवं संक्षिप्त विवरण:
 2. अनुबंध संख्या और दिनांक:
 3. अनुबंध राशि (अनुमानित राशि भी स्वीकार्य है):
 4. गैर-निष्पादन या शर्तों का पालन न करने पर लगाए गए जुर्माने का विवरण (राशि बताएं) यदि कोई हो:
 5. उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी जिसके तहत आपूर्ति निष्पादित की गई:
 6. आपूर्तिकर्ता की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ:
 - a) तकनीकी दक्षता
 - b) वित्तीय सुदृढ़ता
 - ग) समयसीमा का पालन
 - d) कार्य की गुणवत्ता
 - e) सामान्य व्यवहार
- नीचे हस्ताक्षरकर्ता इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम है।

“प्रतिहस्ताक्षरित”

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर के साथ
नाम और पदनाम
संपर्क संख्या

बैंकर का विवरण/बैंक खाता विवरण

बैंकर का विवरण

1.	बैंक का नाम	:	
2.	बैंक का पता	:	
3.	शाखा का नाम	:	
4.	संपर्क व्यक्ति का नाम	:	
5.	मोबाइल नंबर (अनिवार्य) एवं फैक्स नंबर	:	
6.	संपर्क व्यक्ति का आधिकारिक ईमेल आईडी (सामान्य आधिकारिक ईमेल आईडी स्वीकार नहीं की जाएगी)	:	

बैंक खाते का विवरण

1.	खाता नाम	:	
2.	खाता संख्या	:	
3.	खाते का प्रकार (बचत, चालू आदि)	:	
4.	पैन नंबर	:	
5.	आई०ऍफ़०एस० कोड	:	
6.	जीएसटी नंबर	:	

नोट: खाते के रद्द किए गए चेक की एक प्रति संलग्न करें

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

तारीख:

कार्य अनुभव
पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान निष्पादित दवा आपूर्ति कार्य का विवरण

क्र मां क।	फर्म/ग्राहक का नाम और पता	निष्पादित कार्य का मूल्य	चाहे काम हो समय पर पूरा हुआ या नहीं (हां/न हीं)	कार्य की आरंभ तिथि और समापन तिथि	देरी का कारण, यदि कोई हो	समापन अवधि प्रति कार्य आदेश	टेलीफ़ोन / फैक्स नं. संपर्क व्यक्ति अटल

(यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

तारीख:

प्रदर्शन के संबंध में बोलीदाता के प्रमाण पत्र का प्रारूप
(अलग से भरा और मुद्रित किया जा सकता है)

1.	बोलीदाता का नाम और पता	:
2.	बोलीदाता द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण	:
3.	कार्य का नाम तथा संक्षिप्त विवरण	:
4.	अनुबंध संख्या और दिनांक	:
5.	अनुबंध राशि (अनुमानित राशि भी स्वीकार्य है)	:
6.	गैर-निष्पादन या शर्तों का पालन न करने पर लगाए गए जुर्माने का विवरण (राशि बताएं) यदि कोई हो	:
7.	उस प्राधिकारी का विवरण जिसके अधीन आपूर्ति निष्पादित की गई	
	नाम	:
	पद का नाम	:
	पता	:
	टेलीफोन नम्बर (मोबाइल नम्बर अनिवार्य है)	:
	ईमेल आईडी (अनिवार्य)	:
8.	रसायनज्ञ की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ (उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब)	
	(क) तकनीकी दक्षता	:
	(बी) वित्तीय सुदृढ़ता	:
	(ग) समयसीमा का पालन	:
	(घ) कार्य की गुणवत्ता	:
	(ई) सामान्य व्यवहार	:

नीचे हस्ताक्षरकर्ता इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए सक्षम है।

कार्यालय मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम:

मोबाइल नंबर

प्रदर्शन बैंक गारंटी फॉर्म (अपेक्षित वार्षिक खरीद के 10% के लिए)

मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक
कोच्ची

_____ द्वारा जारी निविदा आमंत्रण सूचना संख्या _____ के दस्तावेजों के अनुसरण में लिया है।

और चूंकि निविदा दस्तावेज की शर्तों में से एक यह है कि सफल आपूर्तिकर्ता को अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

और चूंकि उक्त अनुबंध में आपके द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सफल आपूर्तिकर्ता आपको अनुबंध के अनुसार सफल आपूर्तिकर्ता के निष्पादन दायित्वों के अनुपालन हेतु सुरक्षा के रूप में उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए अनुसूचित बैंक द्वारा बैंक गारंटी प्रदान करेगा।

और चूंकि हम सफल आपूर्तिकर्ता के लिए गारंटी देने के लिए सहमत हो गए हैं।

अपेक्षित वार्षिक खरीद के 10% की कुल राशि तक के लिए आपके प्रति उत्तरदायी हैं और हम आपके प्रथम लिखित मांग पर, जिसमें सफल आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के अंतर्गत चूककर्ता घोषित किया गया है, तथा बिना किसी आपत्ति, आपत्ति या तर्क के, पूर्वोक्त राशि के अंतर्गत कोई भी राशि या राशियां, आपको भुगतान करने का वचन देते हैं, और इसके लिए आपको अपनी मांग या उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए आधार या कारण साबित करने या दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2. आपके कार्यालय से एक पत्र जिसमें कहा गया है कि सफल आपूर्तिकर्ता ने अनुबंध के तहत और उसके अनुसार अपने सभी या किसी भी दायित्व के उचित और निष्ठापूर्वक प्रदर्शन में चूक की है, वह निर्णायक, अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा। हम आगे इस बात पर सहमत हैं कि आप इस बात के एकमात्र निर्णायक होंगे कि सफल आपूर्तिकर्ता अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के उचित और निष्ठापूर्वक प्रदर्शन में चूक कर रहा है या नहीं और आपका यह निर्णय कि वह चूक कर रहा है, अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा, भले ही आपके और सफल आपूर्तिकर्ता के बीच कोई मतभेद हो या आपके और उसके बीच कोई विवाद मध्यस्थ या किसी अन्य न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो।

3. इस गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम प्रमुख ऋणी हैं और हमारे संविधान या सफल आपूर्तिकर्ता के संविधान में कोई भी परिवर्तन किसी भी तरह से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।

4. आपको इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना, किसी भी समय अनुबंध के नियमों और शर्तों को बदलने या अनुपालन के लिए समय या अवधि बढ़ाने या किसी भी समय आपके किसी

भी अधिकार के प्रयोग को स्थगित करने या अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने या लागू करने से मना करने की स्वतंत्रता होगी और हम आपके द्वारा ऐसी स्वतंत्रता के किसी भी प्रयोग या आपकी ओर से अन्य सहनशीलता, क्षमा, कार्य या चूक से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व या दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।

5. हम इस गारंटी को इसके प्रभावी रहने तक रद्द नहीं करने का वचन देते हैं।

6. अनुरोध, मांग या अन्यथा के रूप में कोई भी नोटिस हमें ऊपर उल्लिखित शाखा को संबोधित करते हुए डाक द्वारा भेजा जा सकता है, जिसे इस तरह के नोटिस को प्राप्त करने और तुरंत भुगतान करने के लिए विधिवत अधिकृत माना जाएगा, और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसे उस समय दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए था और इस तरह के नोटिस को साबित करने में, जब डाक द्वारा दिया जाता है, तो यह साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि नोटिस युक्त लिफाफा पोस्ट किया गया था और आपके किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कि लिफाफा इस तरह पोस्ट किया गया था, निर्णायक होगा।

7. यह गारंटी तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 18 महीने की अवधि तक या अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार आपके द्वारा इसे जारी किए जाने तक लागू रहेगी।

हस्ताक्षरित एवं मुहरबंद (दिनांक)

हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित

दा:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पद का नाम)

(पता)

वार्षिक अनुबंध प्रपत्र

यह समझौता _____, 20____ के _____ दिन पर किया गया
बीच में

(क्रेता का नाम और पता) इसके बाद एक भाग का
"क्रेता" और

(आपूर्तिकर्ता का नाम और पता)

इसके बाद दूसरे भाग को "आपूर्तिकर्ता" कहा जाएगा:

जबकि क्रेता रियायती मूल्य पर कुछ दवाइयां, औषधियां आदि खरीदने का इच्छुक है और उसने उन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता की बोली स्वीकार कर ली है।

अब यह समझौता निम्नलिखित की गवाही देता है:

1. इस समझौते में शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः दिया गया है।
2. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस समझौते के भाग के रूप में समझा जाएगा, पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा, अर्थात:
 - 2.1 द्वारा प्रस्तुत दिनांक _____ निविदा दस्तावेज़ ;
 - 2.2 निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तें _____
 - 2.3 क्रेता द्वारा पुरस्कार की अधिसूचना
3. क्रेता द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले भुगतानों के प्रतिफल में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, आपूर्तिकर्ता क्रेता के साथ अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप सभी प्रकार से माल और सेवाएं प्रदान करने तथा उनमें दोषों का निवारण करने का वचन देता है।
4. क्रेता इसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को माल और सेवाओं के प्रावधान और उनमें दोषों के निवारण के लिए अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करने का वचन देता है, जो अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है।
5. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति/प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का विवरण निविदा दस्तावेज़ की शर्तों में सूचीबद्ध है।

के लिए और की ओर से
भारतीय रिज़र्व बैंक
(क्रेता)

के लिए और की ओर से

(आपूर्तिकर्ता)

सत्यनिष्ठा संधि

(500 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

यह समझौता (जिसे आगे सत्यनिष्ठा समझौता कहा जाएगा) 20____ तारीख को _____ माह की _____ तारीख को किया गया है।

बीच में

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई 400001 में है (इसके बाद इसे "खरीदार" कहा जाएगा, जिसका तात्पर्य और इसमें शामिल है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति) प्रथम भाग

और

मेसर्स _____ का प्रतिनिधित्व दूसरे पक्ष के श्री/श्रीमती _____, मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्राधिकृत प्रतिनिधि (जिसे इसके बाद "बोलीदाता" कहा जाएगा, जिसका अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत नियुक्त व्यक्ति)।

जबकि क्रेता केरल राज्य में बैंक के सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों को घर पर ही दवाइयां पहुंचाने के लिए दवाइयां खरीदने का प्रस्ताव रखता है। और बोलीदाता/विक्रेता केरल राज्य में बैंक के सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों को घर पर दवाइयाँ पहुँचाने के लिए पेशकश करने को तैयार है/कर चुका है। खरीदार को बोलीदाता के साथ अपने संबंधों में भूमि के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों के आर्थिक उपयोग और निष्पक्षता का पालन करना होगा।

जबकि बोलीदाता एक निजी कंपनी/भागीदारी/एलएलपी/एलएलसी है, जो मामले में प्रासंगिक कानून के अनुसार गठित है और क्रेता एक वैधानिक निकाय है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और अन्य प्रासंगिक विधानों के तहत अपने कार्यों का निष्पादन करता है।

अब, इसलिए,

एक ऐसी प्रणाली का पालन करके सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचना जो निष्पक्ष, पारदर्शी हो तथा अनुबंध की अवधि से पहले, उसके दौरान तथा उसके बाद किसी भी प्रभाव/पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार से मुक्त हो, ताकि: -

क्रेता को उच्च लागत और सार्वजनिक खरीद पर भ्रष्टाचार के विकृत प्रभाव से बचाकर, परिभाषित विनिर्देशों के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वांछित उक्त सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना, तथा अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए बोलीदाताओं को रिश्वत देने या किसी भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने से दूर रहने में सक्षम बनाना, तथा उन्हें यह आश्वासन देना कि उनके प्रतिस्पर्धी भी रिश्वत देने और अन्य भ्रष्ट आचरण से दूर रहेंगे तथा क्रेता पारदर्शी प्रक्रियाओं का पालन करके अपने अधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होगा।

इसके पक्षकार इस सत्यनिष्ठा समझौते में प्रवेश करने के लिए सहमत हैं और निम्नानुसार सहमत हैं:

1. क्रेता की प्रतिबद्धताएँ

1.1 क्रेता यह वचन देता है कि अनुबंध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा क्रेता का कोई भी अधिकारी, अनुबंध से संबंधित बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध या कार्यान्वयन प्रक्रिया में लाभ के बदले में बोलीदाता से सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से कोई रिश्वत, प्रतिफल, उपहार, इनाम, उपकार या कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या कोई अन्य लाभ नहीं मांगेगा, वादा नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा।

1.2 क्रेता सभी बोलीदाताओं के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा तथा सभी बोलीदाताओं को एक जैसी जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा किसी विशेष बोलीदाता को ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा जिससे उस विशेष बोलीदाता को अन्य बोलीदाताओं की तुलना में लाभ हो।

1.3 क्रेता के सभी अधिकारी उपर्युक्त प्रतिबद्धताओं के किसी भी प्रयास या पूर्ण उल्लंघन के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन के किसी भी पर्याप्त संदेह की सूचना उचित प्राधिकारी को देंगे।

1.4 यदि बोलीदाता द्वारा ऐसे अधिकारी(यों) की ओर से किसी भी पूर्ववर्ती कदाचार की रिपोर्ट पूर्ण और सत्यापन योग्य तथ्यों के साथ खरीदार को दी जाती है और खरीदार द्वारा प्रथम दृष्टया इसे सही पाया जाता है, तो खरीदार द्वारा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही या कोई अन्य कार्रवाई, जिसमें आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है, शुरू की जा सकती है और ऐसे व्यक्ति को अनुबंध प्रक्रिया से संबंधित आगे के लेन-देन से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में जब खरीदार द्वारा जांच की जा रही हो, तो अनुबंध के तहत कार्यवाही रोकी नहीं जाएगी।

1.5 खरीदार और बोलीदाता के बीच किसी विवाद की स्थिति में, जहां सत्यनिष्ठा संधि लागू होती है, यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वे समयबद्ध तरीके से स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के पैनल के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। खरीदार आईईएम के समक्ष मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय न्यायालयों का रुख नहीं करेगा और मामले में उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेगा। यदि आईईएम के पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद का समाधान नहीं होता है, तो बैंक अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। विवाद समाधान पर शुल्क/व्यय दोनों पक्षों यानी खरीदार और बोलीदाता द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

1.6 क्रेता, जब भी आवश्यक हो, आईईएम को अनुबंध से संबंधित सभी दस्तावेजों/रिकार्डों तक पहुंच प्रदान करेगा, जिसके संबंध में उनके समक्ष कोई शिकायत या मुद्दा उठाया गया हो।

2. बोलीदाताओं की प्रतिबद्धताएं

2.1 बोलीदाता अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या अनुबंध को सुरक्षित करने या इसे सुरक्षित करने के लिए किसी भी चरण के दौरान भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- बोलीदाता, बोली प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े क्रेता के किसी अधिकारी को, या अनुबंध से संबंधित किसी व्यक्ति, संगठन या तीसरे पक्ष को, बोली लगाने, मूल्यांकन, अनुबंध करने और अनुबंध के कार्यान्वयन में किसी लाभ के बदले में, सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, पुरस्कार, एहसान, कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य फायदा, कमीशन, फीस, ब्रोकरेज या प्रलोभन की पेशकश नहीं करेगा।
- बोलीदाता यह भी वचन देता है कि उसने अनुबंध प्राप्त करने या अनुबंध प्राप्त करने या निष्पादित करने के संबंध में कोई कार्य करने या करने से मना करने के लिए क्रेता के किसी अधिकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्वत, उपहार, प्रतिफल, पुरस्कार, उपकार, कोई भौतिक या अभौतिक लाभ या अन्य फायदा, कमीशन, फीस, दलाली या प्रलोभन नहीं दिया है, देने की पेशकश नहीं की है या देने का वादा नहीं किया है, ताकि अनुबंध या सरकार के साथ किसी अन्य अनुबंध के संबंध में किसी व्यक्ति के प्रति पक्षपात या प्रतिकूलता दर्शाने या मना करने के लिए कोई कार्य करने या करने से मना किया जा सके।
- बोलीदाता को अपने एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पते का खुलासा करना होगा तथा भारतीय बोलीदाता को अपने विदेशी प्रिंसिपलों या सहयोगियों का खुलासा करना होगा।

- बोलीदाताओं को इस बोली/अनुबंध के संबंध में एजेंटों/दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को उनके द्वारा किए जाने वाले भुगतान का खुलासा करना होगा।
- बोलीदाता क्रेता के समक्ष यह भी पुष्टि और घोषणा करता है कि बोलीदाता ने किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी को, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, क्रेता या उसके किसी भी पदाधिकारी को, चाहे आधिकारिक रूप से या अनाधिकारिक रूप से बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के लिए मध्यस्थता करने, सुविधा प्रदान करने या किसी भी तरह से सिफारिश करने के लिए नियुक्त नहीं किया है, न ही किसी ऐसे व्यक्तिगत फर्म या कंपनी को ऐसी किसी मध्यस्थता, सुविधा या सिफारिश के संबंध में कोई राशि का भुगतान किया गया है, भुगतान का वादा किया गया है या भुगतान करने का इरादा है।
- बोलीदाता को, बोली प्रस्तुत करते समय या बातचीत के दौरान या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, अनुबंध के संबंध में क्रेता के अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों को किए गए, किए जाने वाले या किए जाने वाले भुगतानों का खुलासा करना होगा तथा ऐसे भुगतानों के लिए सहमत सेवाओं का ब्यौरा भी बताना होगा।
- बोलीदाता बोली प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षों के साथ मिलीभगत नहीं करेगा।
- बोलीदाता किसी भी भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों के बदले में कोई लाभ स्वीकार नहीं करेगा।
- बोलीदाता प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से, या किसी अन्य को, व्यापारिक संबंध के हिस्से के रूप में खरीदार द्वारा दी गई किसी भी जानकारी का अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा, योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के बारे में, जिसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा वाहक में निहित जानकारी शामिल है। बोलीदाता यह भी वचन देता है कि वह उचित और पर्याप्त सावधानी बरतेगा कि ऐसी कोई भी जानकारी प्रकट न हो।
- बोलीदाता पूर्ण एवं सत्यापन योग्य तथ्यों के समर्थन के बिना सीधे या किसी अन्य तरीके से कोई भी शिकायत करने से परहेज करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- बोलीदाता किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर वर्णित किसी भी कार्य को करने के लिए उकसाएगा या उकसाने का कारण नहीं बनेगा।

यदि बोलीदाता या बोलीदाता का कोई कर्मचारी या बोलीदाता की ओर से काम करने वाला कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्रेता के किसी अधिकारी का रिश्तेदार है, या वैकल्पिक रूप से, यदि क्रेता के किसी अधिकारी के किसी रिश्तेदार का बोलीदाता की फर्म में वित्तीय हित/हिस्सेदारी है, तो बोलीदाता द्वारा बोली दाखिल करने के समय उसे बंद कर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 'रिश्तेदार' शब्द कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 में परिभाषित किया जाएगा। बोलीदाता क्रेता के किसी भी कर्मचारी को कोई पैसा उधार नहीं देगा या उधार नहीं लेगा या उसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई मौद्रिक लेन-देन या लेनदेन नहीं करेगा।

- खरीदार और बोलीदाता के बीच किसी विवाद की स्थिति में, जहाँ सत्यनिष्ठा संधि लागू होती है, यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वे समयबद्ध तरीके से स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) के पैनल के समक्ष मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। खरीदार आईईएम के समक्ष मामलों का प्रतिनिधित्व करते समय न्यायालयों का रुख नहीं करेगा और मामले में उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेगा। यदि आईईएम के पैनल द्वारा मध्यस्थता के बाद भी विवाद का समाधान नहीं होता है, तो बैंक अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है। विवाद समाधान पर शुल्क/व्यय दोनों पक्षों यानी खरीदार और बोलीदाता द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

3. पिछला अपराध

3.1 बोलीदाता यह घोषणा करता है कि इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ इस समझौते के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी भ्रष्ट आचरण के संबंध में या भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या भारत में किसी सरकारी विभाग के साथ कोई भी ऐसा उल्लंघन नहीं हुआ है, जो बोलीदाता को बोली प्रक्रिया से बाहर रखने को उचित ठहरा सके। बोलीदाता को उन लंबित उल्लंघनों की भी रिपोर्ट करनी होगी, जिनके लिए तीन वर्ष की उक्त अवधि से पहले भी संज्ञान लिया गया था।

3.2 बोलीदाता इस बात से सहमत है कि यदि वह इस विषय पर गलत बयान देता है, तो बोलीदाता को बोली प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या यदि अनुबंध पहले ही दिया जा चुका है, तो ऐसे कारण से उसे समाप्त किया जा सकता है।

4. बयाना राशि

बोली प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता को क्रेता द्वारा निर्दिष्ट बयाना राशि उसके पास जमा करानी होगी।

5. उल्लंघन के लिए प्रतिबंध

5.1 बोलीदाता या उसके द्वारा नियुक्त या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति (बोलीदाता की जानकारी में या उसके बिना) द्वारा उपरोक्त प्रावधानों का कोई उल्लंघन किए जाने पर क्रेता को, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई एक कार्रवाई करने का अधिकार होगा:

- बिना कोई कारण बताए या बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना अनुबंध वार्ता को तुरंत बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, अन्य बोलीदाताओं के साथ कार्यवाही जारी रहेगी।
- सुरक्षा/निष्पादन बैंक गारंटी (अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद) पूरी तरह या आंशिक रूप से जब्त हो जाएगी, जैसा कि क्रेता द्वारा निर्णय लिया जाएगा और इसके लिए क्रेता को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।
- यदि अनुबंध पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुका है तो बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना उसे तुरंत रद्द करना।
- क्रेता द्वारा पहले से भुगतान की गई सभी राशियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की प्रचलित आधार दर से 1% अधिक ब्याज के साथ वसूल करना, जबकि भारत के अलावा किसी अन्य देश के बोलीदाता के मामले में उस पर LIBOR से 1% अधिक ब्याज होगा। यदि किसी अन्य सेवा के लिए किसी अन्य अनुबंध के संबंध में क्रेता से बोलीदाता को कोई बकाया भुगतान मिलना है, तो ऐसे बकाया भुगतान का उपयोग उपरोक्त राशि और ब्याज वसूलने के लिए भी किया जा सकता है।
- उसे भुनाना , ताकि क्रेता द्वारा पहले ही किए गए भुगतान को ब्याज सहित वसूला जा सके।
- बोलीदाता के साथ सभी या किसी अन्य अनुबंध को रद्द करना। बोलीदाता ऐसे रद्दीकरण/निरसन के परिणामस्वरूप खरीदार को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा और खरीदार बोलीदाता को देय धनराशि से देय राशि काटने का हकदार होगा।
- बोलीदाता को आरबीआई की भावी बोली प्रक्रियाओं में भाग लेने से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसे क्रेता के विवेकानुसार आगे बढ़ाया जा सकता है।
- अनुबंध को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बोलीदाता(ओं) द्वारा किसी बिचौलिए या एजेंट या दलाल को इस समझौते का उल्लंघन करते हुए भुगतान की गई सभी राशियों की वसूली करना।
- ऐसे मामलों में जहां क्रेता द्वारा बोलीदाता के साथ हस्ताक्षरित किसी अनुबंध के संबंध में अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हो गए हों, उन्हें नहीं खोला जाएगा।

- इस समझौते के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने का कोई कारण बताए बिना क्रेता द्वारा बैंक गारंटी जब्त करने के निर्णय के मामले में निष्पादन बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी।

5.2 क्रेता, बोलीदाता या उसके द्वारा नियुक्त या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति (बोलीदाता की जानकारी में हो या न हो) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय IX या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या भ्रष्टाचार निवारण के लिए अधिनियमित किसी अन्य कानून में परिभाषित किसी अपराध के किए जाने पर भी इस समझौते की धारा 5.1 में उल्लिखित सभी या कोई कार्रवाई करने का हकदार होगा।

5.3 खरीदार का यह निर्णय कि बोलीदाता द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, बोलीदाता पर अंतिम और निर्णायक होगा। हालाँकि, बोलीदाता इस समझौते के प्रयोजनों के लिए नियुक्त स्वतंत्र मॉनिटर(ओं) से संपर्क कर सकता है।

6. पतन खंड

बोलीदाता यह वचन देता है कि उसने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या पीएसयू या पीएसबी के संबंध में वर्तमान बोली में प्रस्तावित मूल्य से कम मूल्य पर समान उत्पाद/सेवाएं या उप-सेवाएं समान मात्रा में आपूर्ति नहीं की है/नहीं कर रहा है और यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग या पीएसयू या पीएसबी को समान उत्पाद/सेवाएं या उप-सेवाएं कम मूल्य पर आपूर्ति की गई हैं, तो वही मूल्य, बीते समय के लिए उचित छूट के साथ, वर्तमान मामले में लागू होगा और यदि अनुबंध पहले ही संपन्न हो चुका है, तो लागत में अंतर बोलीदाता द्वारा क्रेता को वापस कर दिया जाएगा।

7. स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम)

7.1 क्रेता ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इस समझौते के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (जिन्हें आगे आईईएम कहा जाएगा) नियुक्त किए हैं और आईईएम इस प्रकार हैं:

i) श्री नागेश्वर राव कोरीपल्ली, आईआरएस (सेवानिवृत्त)

मोबाइल नं. 9788919555

ई-मेल आईडी - knageshwarrao@gmail.com

ii) प्रमोद श्रीपाद फाल्निकर, आईपीएस (सेवानिवृत्त)

मोबाइल नं. 9011943874

ई-मेल आईडी - pramodphalnikar@gmail.com

7.2 आईईएम का कार्य स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ रूप से यह समीक्षा करना होगा कि क्या और किस सीमा तक पक्षकार इस संधि के अंतर्गत दायित्वों का अनुपालन करते हैं।

7.3 मॉनिटरों को पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं होना होगा तथा वे अपना कार्य तटस्थ एवं स्वतंत्र रूप से करेंगे।

7.4 दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि स्वतंत्र ई.एम. को बैठकों के विवरण सहित खरीद से संबंधित सभी दस्तावेजों तक पहुंच का अधिकार है।

7.5 जैसे ही स्वतंत्र आयातक को इस समझौते के उल्लंघन का पता चलता है, या उसके पास ऐसा मानने का कारण होता है, तो वह क्रेता द्वारा नामित प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा।

7.6 बोलीदाता स्वीकार करते हैं कि आईईएम को खरीदार के सभी खरीद दस्तावेजों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुँच का अधिकार है, जिसमें बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज भी शामिल हैं। बोलीदाता आईईएम को उनके अनुरोध और वैध रुचि के प्रदर्शन पर, उनके प्रोजेक्ट दस्तावेजों तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुँच प्रदान करेगा। यही बात उपठेकेदारों पर भी लागू होती है। आईईएम बोलीदाता/उपठेकेदार(ओं) की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ रखने के लिए संविदात्मक दायित्व के तहत होंगे।

7.7 क्रेता को खरीद से संबंधित पक्षों के बीच सभी बैठकों के बारे में IEM को पर्याप्त जानकारी प्रदान करनी होगी, बशर्ते कि ऐसी बैठकों का पक्षों के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता हो। पक्ष IEM को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करेंगे।

7.8 आईईएम क्रेता/बोलीदाता द्वारा संदर्भ या सूचना की तिथि से 8 से 10 सप्ताह के भीतर क्रेता के नामित प्राधिकारी को लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

8. जांच में सुविधा

इस समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या कमीशन के भुगतान के किसी भी आरोप के मामले में, क्रेता या उसकी एजेंसियां बोलीदाता की लेखा पुस्तकों सहित सभी दस्तावेजों की जांच करने की हकदार होंगी और बोलीदाता अंग्रेजी में आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराएगा और ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करेगा।

9. कानून और अधिकार क्षेत्र का स्थान

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र क्रेता का मुख्यालय है, अर्थात् कोच्ची

10. अन्य कानूनी कार्रवाइयां

इस सत्यनिष्ठा संधि में निर्धारित कार्यवाहियां किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगी, जो किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही से संबंधित वर्तमान कानून के प्रावधानों के अनुसार हो सकती हैं।

11. वैधता

इस सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता इसके हस्ताक्षर की तिथि से होगी और समग्र अनुबंध के भाग के रूप में सफल बोलीदाता को अनुबंध के अंतर्गत अंतिम भुगतान के पश्चात 12 महीने तक होगी, जो भी बाद में हो। यदि बोलीदाता असफल होता है, तो यह सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता की नियुक्ति के पश्चात समाप्त हो जाएगा।

यदि इस संधि के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस संधि का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पक्ष अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।

12. दोनों पक्षकार इस सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं: _____ पर _____

क्रेता बोलीदाता

भारतीय रिज़र्व बैंक मेसर्स -----

अधिकारी का नाम: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

पदनाम: पदनाम:

विभाग:

गवाह: गवाह:

औषधालयों की सूची

क्रमांक।	औषधालय का नाम व पता	समय
1	भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची	08:30 पूर्वाह्न से 11:30 पूर्वाह्न तक

गैर-प्रकटीकरण समझौते का प्रारूप

गैर प्रकटीकरण समझौता

बोलीदाता बैंक की कोई भी जानकारी, डेटा और/या कोई भी विवरण, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान बोलीदाता के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और उस समय उसे सख्त गोपनीयता में रखेगा। बोलीदाता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। बोलीदाता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना जानकारी के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा या प्रकट नहीं करेगा। बोलीदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन न करने को बोलीदाता की ओर से अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक क्षतिपूर्ति का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा।

बोलीदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में बोलीदाता के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 पर घोषणा के लिए प्रारूप (सेवा स्तर समझौते (एसएलए) का हिस्सा होगा)

1. सेवा प्रदाता को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।
2. सेवा प्रदाता के किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत सेवा प्रदाता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी तथा सेवा प्रदाता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
3. बैंक परिसर में सेवा प्रदाता के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत होने पर, "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के अंतर्गत बैंक द्वारा गठित केंद्रीय शिकायत समिति/शिकायत समितियों के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी।
4. सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा आरबीआई के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का संज्ञान "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के तहत बैंक द्वारा गठित केंद्रीय शिकायत समिति/शिकायत समितियों द्वारा लिया जाएगा।
5. यदि घटना में सेवा प्रदाता के कर्मचारी शामिल हों तो सेवा प्रदाता किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए आरबीआई कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि शिकायत के तहत आरोप साबित होते हैं।
6. सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
7. सेवा प्रदाता को आरबीआई परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों और प्रतिनिधियों की पूर्ण और अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

₹500 के स्टाम्प पेपर पर वाणिज्यिक बोली की घोषणा (वाणिज्यिक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत की जानी है)

वाणिज्यिक बोली की घोषणा

हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने RFP के दायरे को देखा है और उसमें बताए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि हमने अनुबंध की दरें कार्य के दायरे और पैकेज विवरण के आधार पर लिखी हैं और पॉलिसी आउटगो के तहत सभी लागतों को शामिल किया है। हम स्वीकार करते हैं कि प्रस्तुत उद्धरण सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक आंतरिक स्वीकृति पर आधारित है और बोली प्रस्तुत करने और मूल्य बोली खोलने के बाद उद्धरण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उद्धरण पूरी पॉलिसी/अनुबंध अवधि यानी 01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक और अनुबंध के विस्तार के मामले में नवीनीकरण अवधि के लिए भी मान्य होगा।

किसी भी विचलन के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

दिनांक

हस्ताक्षर मुहर सहित

नाम:

सॉल्वेंसी के लिए बैंकर का प्रमाण पत्र

1. फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी / निजी लिमिटेड / स्वामित्व / सार्वजनिक लिमिटेड।)
2. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम।
3. फर्म का पता.
4. फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा:
5. व्यवहार:
6. वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है:
7. कोई अन्य टिप्पणी

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार मेसर्स/श्री/ सुश्री _____ जिनका पता हाशिये पर लिखा है, हमारे बैंक के एक सम्मानित ग्राहक हैं और उन्हें रु. _____ (रुपये _____) की सीमा तक किसी भी कार्य के लिए अच्छा माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी पर किसी भी गारंटी या जिम्मेदारी के बिना जारी किया जाता है।

अधिकृत सरकारी मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम:

कर्मचारी आईडी के साथ पदनाम:

तारीख:

मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल आईडी:

बैंक के लिए

टिप्पणी:

1. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, तथा भर्ती प्राधिकारी को संबोधित लिफाफे में सीलबंद होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल करने हेतु प्रमाण पत्र।

भाग II: वित्तीय / मूल्य बोली
(केवल निविदा के भाग-II में प्रस्तुत किया जाना है)

ई-टेंडर

के लिए

कोच्ची स्थित कार्यालय, कॉलोणियों तथा केरल राज्य में कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के निवास पर क्रेडिट स्लिप के माध्यम से दवाओं की सीधी डिलीवरी

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/कोच्ची क्षेत्रीय कार्यालय/संपदा/4/25-26/ईटी/131

की अवधि : 01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक

वित्तीय/मूल्य बोली

(केवल निविदा के भाग-II में प्रस्तुत किया जाना है)

क्षेत्रीय निदेशक
 भारतीय रिज़र्व बैंक
 कोच्ची

प्रिय महोदय,

मैंने/हमने बैंक के एनआईटी और आरएफक्यू दस्तावेज़ दिनांक _____ में उल्लिखित नियमों, शर्तों और अन्य विवरणों को पूरी तरह से पढ़ और समझ लिया है।

2. मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची के औषधालयों को दवाइयों की आपूर्ति करने की पेशकश करता हूँ/करते हैं। नीचे दी गई दर पर:

i. आपूर्ति की सभी वस्तुओं पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर एक समान छूट दी जाएगी:

दवा आपूर्ति	:	
	:	(प्रतिशत में - आंकड़ों में)
	:	
	:	(प्रतिशत में - शब्दों में)

- ii. मैं पैकिंग, कार्टेज और परिवहन व्यय वहन करने का वचन देता हूँ और उपरोक्त आपूर्तियों पर कानून के तहत आवश्यक या अपेक्षित सभी कर, वैट/बिक्री कर/लेवी/ उपकर /ऑक्ट्रॉई आदि भी वहन करूँगा। क्रेता (बैंक) केवल मुद्रित खुदरा मूल्य में से ऊपर उद्धृत छूट घटाकर भुगतान करेगा। मैं क्रेता (बैंक) से ऐसा कोई कर नहीं लूँगा।
- iii. मैं आपूर्ति की सभी वस्तुओं पर मुद्रित खुदरा मूल्य पर उपरोक्त उद्धृत छूट दर को इस अनुबंध की अवधि तक वैध रखने का भी वचन देता हूँ।
- iv. मैं यह भी वचन देता हूँ कि सभी दवाइयां मांगपत्र/आपूर्ति आदेश के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी तथा कोई भी "प्रतिस्थापन दवाइयां" उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

हस्ताक्षर:

तारीख:

स्टाम्प: नाम: